छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 4–20/2020/29–1/ नवा रायपुर, दिनांक 29 नवंबर, 2020

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त,**
छत्तीसगढ़

2. **समंस्त कलेक्टर,**
छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन विषयक ।

राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों (Uniform specifications) के अनुसार प्रदेश के किसानों से धान एवं मक्का का उपार्जन किये जाने का निर्णय लिया गया है । खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान एवं मक्का उपार्जन की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. समर्थन मूल्य –

भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 के लिए औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) के धान एवं मक्का के उपार्जन के लिए निर्धारित निम्नानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जावे –

धान कॉमन	–	रूपए 1868 प्रति क्विंटल
धान ग्रेड ए	–	रूपए 1888 प्रति क्विंटल
मक्का	–	रूपए 1850 प्रति क्विंटल

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 हेतु धान, मक्का एवं चावल के लिए निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों की छायाप्रति **परिशिष्ट– 1** पर संलग्न है ।

2. उपार्जन की समयावधि –

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी दिनांक 1 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक की जावेगी । समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी दिनांक 1 दिसंबर, 2020 से 31 मई, 2021 तक की जावेगी ।

3. प्रति एकड़ खरीदी निर्धारण –

खरीफ वर्ष 2020–21 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की जाती है । खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की जाती है ।

4. <u>उपार्जन एजेंसी</u> –

4.1. राज्य के समस्त जिलों में धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जावेगा ।

4.2. धान एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मात्र प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा । धान उपार्जन केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व करनी होगी ।

4.3. यह सुनिश्चित किया जावे कि धान उपार्जन के कार्य में नियोजित सहकारी समितियों एवं राज्य की धान एवं मक्का उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जावे ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित न हो ।

4.4. प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस को छोड़कर अन्य संस्था/समिति को किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन अथवा कलेक्टर द्वारा समर्थन मूल्य पर धान अथवा मक्का की खरीदी हेतु अधिकृत नहीं किया जाएगा ।

4.5. खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान की खरीदी विगत खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में संचालित 2048 खरीदी केन्द्रों में एवं खरीफ वर्ष 2020–21 में प्रारंभ किये गये नवीन खरीदी केन्द्रों में की जाएगी । **खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में प्रारंभ किये गये नवीन खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं समयानुसार कर ली जावे ।**

4.6. प्रदेश में 48 मंडियों एवं 76 उपमंडियों (**<u>परिशिष्ट–2</u>**) के प्रांगण का उपयोग विगत खरीफ विपणन वर्ष अनुसार धान उपार्जन केन्द्र हेतु किया जाएगा । यथासंभव कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इसमें बढ़ोत्तरी की जा सकेगी ।

4.7. राज्य की मंडियों को नियमानुसार देय मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क का भुगतान उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जावेगा ।

5. <u>उपार्जन की अनुमानित मात्रा</u> –

खरीफ वर्ष 2020–21 में राज्य के किसानों से 89 लाख मेट्रिक टन धान एवं 5000 मेट्रिक टन मक्का का उपार्जन अनुमानित है । जिलेवार धान के अनुमानित उपार्जन की जानकारी का पत्रक **<u>परिशिष्ट–3</u>** पर संलग्न है । **धान एवं मक्का खरीदी कार्य पूर्ण होने पर उपार्जित मात्रा की वास्तविक जानकारी ज्ञात हो सकेगी एवं तदनुसार निराकरण की कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी ।**

6. <u>साख–सीमा की व्यवस्था</u> –

धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु आवश्यक साख–सीमा की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जावेगी ।

7. <u>उपार्जन की प्रक्रिया</u> –

7.1. खरीफ वर्ष 2019–20 की भांति खरीफ वर्ष 2020–21 में भी सहकारी समितियों द्वारा संचालित निकटस्थ उपार्जन केन्द्र में राज्य के किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का विक्रय किया जा सकेगा । इस हेतु संबंधित गांव को उस समिति के धान उपार्जन केन्द्र के साथ साफ्टवेयर में जोड़ा जाना आवश्यक होगा जिसमें उन्हें धान विक्रय की अनुमति दी जानी है । अतः आपके जिले के जिन गांवों को निकटस्थ उपार्जन केन्द्रों से जोड़ा जाना है, इसकी कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए तथा सभी ग्रामों में इसका प्रचार–प्रसार कर दिया जाये ।

7.2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान एवं मक्का का उपार्जन कृषकों से ऋण पुस्तिका के आधार पर ही किया जावेगा तथा क्रय मात्रा का इन्द्राज संबंधित समिति के प्रबंधक/अधिकृत कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी ऋण पुस्तिका में किया जावेगा । अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी किसानों के पास ऋण पुस्तिका उपलब्ध हो, यदि किसी किसान की ऋण पुस्तिका बैंक/अन्य संस्थाओं के पास रखी हो तो उसे डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराई जावे ।

7.3. अधिया/रेगहा के माध्यम से उत्पादित धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिए लाने वाले किसानों द्वारा भूमि की ऋण पुस्तिका लानी होगी तथा उसमें इन्द्राज किया जाएगा । इसके साथ ही स्वंय का वचन पत्र तथा भूमि स्वामी का सहमति पत्र भी उपार्जन केन्द्रों में प्रस्तुत करना होगा । सभी खरीदी केन्द्रों में ऐसी खरीदी के आंकड़ों को पृथक रूप से संधारित किया जावे ।

7.4. **समितियों द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक (शासकीय अवकाश के दिवसों को छोड़कर) धान खरीदी की जायेगी तथा प्रत्येक शनिवार को क्रय किये गये धान की मात्रा, बारदानों का उपयोग तथा समिति को धान उपार्जन हेतु प्राप्त राशि के व्यय की पुष्टि धान खरीदी सॉफ्टवेयर में करना अनिवार्य होगा ।**

7.5. प्रदेश में बीज उत्पादक कृषकों का बीज, बीज निगम द्वारा उपार्जित करने हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था से धान बीज की शुद्धता एवं अंकुरण की जांच/परीक्षण करायी जाती है । उक्त जांच/परीक्षण में जिन कृषकों के धान बीज फेल हो जाते हैं, उसे औसत अच्छे किस्म का होने पर समर्थन मूल्य पर क्रय किया जावेगा । चूँकि परीक्षण के कार्य में समय लगता है, इसलिए धान बीज का समर्थन मूल्य पर चिन्हाँकित खरीदी केन्द्रों में इन किसानों से बीज निगम के प्रमाण पत्र के आधार पर उपार्जन दिनांक 01 मार्च, 2021 से 31 मई, 2021 तक किया जावे ।

7.6. लिकिंग योजना के अंतर्गत विगत खरीफ वर्ष की भांति खरीफ वर्ष 2020–21 में भी मात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कृषकों से ही लिकिंग योजना के अंतर्गत धान का क्रय किया जा सकेगा ।

7.7. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लेनदारों की सूची व अवशेष ऋण का इंद्राज कम्प्यूटर में किया जाए । संबंधित किसान द्वारा धान की उपज उपार्जन केन्द्र में लाये जाने पर उसके द्वारा लायी गई कुल उपज का अधिकतम 25 प्रतिशत ही लिकिंग में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु खरीदा जा सकता है ।

7.8. **विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके । समितियों को प्रदान की जाने वाली राशि सीधे, सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में, अंतरित कर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए । जिले में समितियों को राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना है या मार्कफेड द्वारा सीधे दी जानी है, इसके निर्धारण के लिये कलेक्टर अधिकृत होंगे । कृषकों के खाते में समस्त भुगतान डिजिटल मोड से किया जावे ।**

7.9. छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा समितियों को मक्का खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके । समितियों को प्रदान की जाने वाली राशि सीधे, सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में, अंतरित कर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए । जिले में समितियों को राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना है या नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सीधे दी जानी है, इसके निर्धारण के लिये कलेक्टर अधिकृत होंगे । **खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में मक्का खरीदी की राशि का समस्त भुगतान धान खरीदी के समान ही कृषकों के खाते में डिजिटल मोड से किया जावे ।**

7.10. खरीदी केन्द्रों में धान एवं मक्का के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु किसानों को टोकन जारी कर धान एवं मक्का की खरीदी की जावे । धान/मक्का खरीदी अवधि का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि किसान उक्त अवधि के दौरान अपना धान/मक्का लाकर विक्रय कर सके । धान/मक्का खरीदी के अंतिम दिन पर्ची जारी नहीं की जावे । धान/मक्का खरीदी के अंतिम दिन शाम 5 बजे तक जो धान/मक्का खरीदी केन्द्र में विक्रय हेतु आयेगा उसे उसी दिन तौल कर खरीदी की जावेगी ।

8. <u>बारदानों की व्यवस्था</u> –

8.1. **खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में भारत शासन की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान उपार्जन एवं चावल जमा करने हेतु बारदाने की आवश्यक व्यवस्था की जावे । खाद्य विभाग, भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति संबंधी जारी पत्र कमांक 15-8/2004-Py.III (Pt.) दिनांक 18 मई, 2017 की प्रति <u>परिशिष्ट–4</u> पर संलग्न है । नवीन नीति अनुसार धान की खरीदी शतप्रतिशत नये बोरो में करने के बजाय, 50 : 50 के अनुपात में नये एवं पुराने बोरो में की जावेगी । नये जूट बोरे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कमी की पूर्ति** Used Gunny Bags **से करते हुए अनुपात बनाये रखा जाए ।**

8.2. धान की भरती हेतु आवश्यक नये जूट बारदाने, जूट कमिश्नर से कय कर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार संख्या में उपलब्ध कराये जावेंगे । कोरोना महामारी के कारण जूट बारदाने आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं होने के कारण उसकी कमी की पूर्ति Used Gunny Bags (पीडीएस बारदाने) से की जाएगी । **Used Gunny Bags में धान एवं कस्टम मिलिंग चावल दोनों का उपार्जन किया जा सकेगा ।**

8.3. **खाद्य विभाग भारत सरकार से Used Gunny Bags के संबंध में पत्र दिनांक 20.10.2020 प्राप्त हुए हैं, जिसकी प्रति <u>परिशिष्ट–5</u> पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। भारत सरकार की नीति अनुसार स्टेंसिल लगाने, स्टेकिंग करने, रिकार्ड बनये रखने, क्लेम करने का उत्तरदायित्व उपार्जन एजेंसियों यथा समिति, मार्कफेड एवं चावल उपार्जन एजेंसी का होगा । उक्त बारदानों को पलटी कर एवं सही तरीके से निर्धारित लाल रंग में स्टेंसिल किया जावे एवं बारदाने में " Used bag allowed for KMS 2020&21 " का स्टेंसिल लगाया जावे । Used Gunny Bags की व्यवस्था भारत सरकार की नीति अनुसार की जावे, इस संबंध में विपणन संघ द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किया जावे ।**

8.4. मार्कफेड के पास गत खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 के उपलब्ध नये जूट बारदानों का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान उपार्जन हेतु किया जायेगा । मार्कफेड द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि गत खरीफ विपणन वर्ष के उपलब्ध सभी नये जूट बारदाने का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान खरीदी हेतु हो जावे ।

8.5. **पुराने बारदाने की कमी की पूर्ति हेतु धान खरीदी के लिए आवश्यक लगभग 0.70 लाख गठान नये HDPE/PP बारदाने की व्यवस्था विपणन संघ द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय कर की जावेगी । खाद्य विभाग भारत सरकार से HDPE/PP बारदाने के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 28.10.2020 की प्रति <u>परिशिष्ट–6</u> पर संलग्न है, कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । मिलर द्वारा HDPE/PP बारदाने में धान उठाव करने पर मिलिंग के पश्चात शेष HDPE/PP बारदाने के दर की कटौती भारत सरकार के निर्देशानुसार की जावेगी । HDPE/PP बारदाने में केवल धान का उपार्जन किया जायेगा, इसमें चावल का उपार्जन नहीं किया जावेगा ।**

8.6. पुराने बोरों की व्यवस्था सभी प्रदायकर्ताओं यथा मिलर, शासकीय उचित मूल्य दुकान (समिति एवं अन्य), कृषक आदि से की जावे । पुराने बोरों की व्यवस्था पीडीएस के बारदानों, मिलर के पास गत खरीफ विपणन वर्षों के उपलब्ध बारदानों एवं धान खरीदी के दौरान कृषक द्वारा उपलब्ध कराये गये जूट बारदानों से की जावे । पुराने बोरों का धान खरीदी में उपयोग किये जाने पर भारत शासन द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क का भुगतान किया जावेगा । पुराने बारदाने के उपयोगिता शुल्क भुगतान के संबंध में खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक 15(8)/2004-Py.III (Pt.) दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 एवं 15-14/2018-Py.III दिनांक 13 दिसंबर, 2018 की प्रति क्रमशः **<u>परिशिष्ट–6.1</u>** एवं **<u>परिशिष्ट–6.2</u>** पर संलग्न है ।

8.7. पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पत्र क्रमांक/विप./104–6E/2020/1978 दिनांक 18.06.2020 द्वारा **(<u>परिशिष्ट–7</u>)** खरीफ वर्ष 2020–21 में पुराने बारदाने की दर रू. 15 प्रति नग निर्धारित की गई है।

8.8. मक्का की खरीदी पुराने बारदानों (पीडीएस/कृषक के) में किया जावे । पुराने बारदानों की राशि का भुगतान पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा निर्धारित दर अनुसार ही किया जावे ।

8.9. **पुराने बारदानों के आंतरिक परिवहन हेतु प्रदायकर्ताओं (मिलर/समिति/विपणन संघ आदि) को परिवहन शुल्क प्रदान किया जावे । भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने पर 'अतिरिक्त व्यय' मद से भुगतान हेतु शामिल किया जावे ।**

8.10. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा क्रय बारदानों की प्राप्ति निर्धारित रेक पाइंट एवं सड़क मार्ग पर की जाकर उसे धान खरीदी केन्द्रों तक पहुंचाने की समस्त व्यवस्था की जावेगी ।

8.11. संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान जिलों में बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति के संबंध में कलेक्टर्स सतत निगरानी रखेंगे, ताकि धान उपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ।

8.12. धान उपार्जन हेतु जूट कमिश्नर से क्रय कर प्रदाय किए गए नये बारदानों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए एवं निम्न गुणवत्ता के बारदाने किसी भी गठान में पाए जाने पर तत्काल विभाग एवं प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अवगत कराया जाए, ताकि प्रदाय एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके । निम्न गुणवत्ता के बारदानों का उपयोग नहीं किया जाए । इन्हें अलग से रख लिया जाए जिससे निम्न गुणवत्ता के बारदाने प्रदाय एजेंसी को वापस किए जा सकें ।

यह व्यवस्था नये HDPE/PP बारदाने के संबंध में भी लागू होगी ।

8.13. जिले में यदि पुराने बारदाने उपलब्ध हों तो उन्हें अलग से भण्डारित किया जाए एवं नए बारदानों को अलग गोदामों में भंडारित किया जाए, ताकि दोनों प्रकार के बारदानों की संख्या एवं लेखों का पृथक रूप से संधारण हो सके ।

8.14. समितियों में धान उपार्जन हेतु प्रयुक्त नए बारदानों पर समिति का नाम, पंजीयन नंबर एवं धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रूप से की जावे । यह कार्य समितियों को उपलब्ध कराये जा रहे प्रासंगिक व्यय में से स्थानीय स्तर पर की जावे । इससे समितियों द्वारा उपार्जित धान की मात्रा, किस्म एवं गुणवत्ता की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी ।

8.15. किसानों से धान क्रय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये अथवा पुराने) का धान उपार्जन हेतु उपयोग किया जा रहा है अथवा मिलर अथवा परिवहनकर्ता को धान प्रदाय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये अथवा पुराने) जारी किये जा रहे हैं, उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में की जावे । समिति के भौतिक सत्यापन के दौरान बारदाने के स्टॉक सही नहीं पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जावे ।

8.16. बारदाने की गुणवत्ता एवं विभिन्न स्तर पर बारदाने का रिकार्ड संधारण हेतु मार्कफेड द्वारा निर्देश जारी किया जाए एवं विभाग को सूचित किया जाए ।

8.17. बारदाने की व्यवस्था के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–14/2020/29–1 दिनांक 11 मई, 2020 **(परिशिष्ट–8)** द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

8.18. मार्कफेड द्वारा समितिवार नये एवं पुराने बोरे की आवश्यकता का आकलन कर लिया जावे । मिलर के पास उपलब्ध पुराने बारदाने को धान खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध कराने हेतु टैगिंग का कार्य मार्कफेड द्वारा यथाशीघ्र कर लिया जावे । पीडीएस के पुराने बारदानों को समीपस्थ खरीदी केन्द्र एवं मार्कफेड के बारदाना संग्रहण केन्द्र में पहुंचाने का कार्य समयानुसार कर लिया जावे । मार्कफेड द्वारा धान खरीदी आकलन एवं आवक को ध्यान में रखते हुए नये एवं पुराने बारदाने की उपलब्धता समयानुसार सुनिश्चित की जावे । मार्कफेड द्वारा समिति एवं संग्रहण केन्द्र स्तर पर नये एवं पुराने में धान के रखरखाव, उठाव, डिजीटल प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया जावे ।

9. उपार्जन हेतु आरंभिक व्यवस्था –

9.1. **पंजीकृत किसानों से ही खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा ।** खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन कराने के संबंध में विस्तृत निर्देश विभागीय पत्र एफ 4–21/2020/29–1 दिनांक 13 अगस्त, 2020 द्वारा एवं समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन कराने के संबंध में विस्तृत निर्देश विभागीय पत्र एफ 4–22/2020/29–1 दिनांक 13 अगस्त, 2020 द्वारा जारी किये गये हैं । किसान पंजीयन समयावधि वृद्धि के संबंध में दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 एवं 10 नवंबर, 2020 को विभागीय पत्र जारी किये गये हैं ।

9.2. कृषकों द्वारा विक्रय किये गये धान एवं मक्का की राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में डिजीटल मोड से किया जायेगा । यथाशीघ्र यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सभी कृषकों के खाते खुल जायें तथा बैंक खातों की जानकारी की प्रविष्टि किसान डेटाबेस में कर ली जावे ।

9.3. सहकारी समितियों को दी जाने वाली राशि यदि मार्कफेड द्वारा सहकारी समिति के बैंक खाते में सीधे दी जाना हो तो कलेक्टर द्वारा समितियों के खाते की जानकारी सहित प्रस्ताव प्रबंध संचालक, मार्कफेड को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जावे, ताकि समितियों को राशि अंतरित की जा सके ।

9.4. भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2020–21 हेतु धान एवं मक्का की खरीदी अवधि एवं औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के मापदण्डों का बैनर, हैण्डबिल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों को उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके ।

9.5. सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान एवं मक्का के खरीदी अवधि के बैनर के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टियों को भी प्रदर्शित किया जावे ।

9.6. धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी उपार्जन केन्द्रों के कांटे–बांट तथा जिलों के संग्रहण केन्द्रों एवं चावल उपार्जन गोदामों के धरमकांटो का सत्यापन नियंत्रक विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित होना चाहिए। बांट माप का सत्यापन 24 माह की कालावधि में कम से कम एक बार कराया जाना आवश्यक होता है, जबकि स्वचालित तौल उपकरणों जैसे– इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन एवं धर्मकांटे (वेब्रिज) के सत्यापन की कालावधि 12 माह निर्धारित है । **धान खरीदी एवं संग्रहण केन्द्रों के बांट माप के ऑनलाईन सत्यापन के संबंध में नियंत्रक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी पत्र कमांक 1765/विमा/धान खरीदी/2017 दिनांक 14.08.2017 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे, उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ट–9 पर संलग्न** है । उपार्जन केन्द्र पर निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी किये गये सत्यापन प्रमाण–पत्र, सहज एवं दृष्टिगोचर स्थान पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जावें, जिन्हें विक्रेता किसान आसानी से देखकर उपकरणों की सत्यता को लेकर सुनिश्चित हो सकें ।

9.7. धान एवं मक्का उपार्जन हेतु केन्द्र का चिन्हांकन करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे स्थानों की भूमि नीची अथवा गड्ढे वाली न हो अपितु आस–पास के स्थल से पर्याप्त रूप से ऊंचा स्थान हो जिससे आकस्मिक वर्षा की स्थिति में संग्रहित धान के खराब होने की स्थिति निर्मित न हो । उपार्जन केन्द्र स्तर पर धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु आवश्यक संख्या में पॉलिथीन कवर, डनेज सामग्री/ सीमेंट ब्लॉक/ फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था भी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध होना चाहिए । उपरोक्त हेतु मार्कफेड द्वारा अग्रिम में राशि समितियों को प्रदाय किया जावे ।

9.8. **धान एवं मक्का खरीदी केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही धान लाये जाने हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे । खरीफ वर्ष 2020–21 में प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी के लिये नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखे जावे। आर्द्रतामापी यंत्र के उपयोग हेतु समिति प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा दिलाया जावे । सभी खरीदी केन्द्रो में आर्द्रतामापी यंत्र चालू अवस्था में होनी चाहिए । आर्द्रतामापी यंत्र का कैलीब्रेशन यथाशीघ्र धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व करा लिया जावे ।** जिन स्थानों पर आर्द्रतामापी यंत्र उपयोग योग्य नहीं है, वहां समिति द्वारा नये आर्द्रतामापी यंत्र की व्यवस्था की जावे । अपैक्स बैंक द्वारा आर्द्रतामापी यंत्र के संबंध में भारतीय खाद्य निगम से संपर्क कर मापदण्ड प्राप्त किया जावे । उपार्जन केन्द्रों में नमी की जांच कर किसानों को आवश्यक समझाईश

दी जावे । **किसी भी स्थिति में 17 % से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे । एन.आई.सी. के द्वारा समितियों में धान की आर्द्रता एंट्री हेतु प्रावधान किया जावे ।**

9.9. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के संग्रहण हेतु जहां तक संभव हो शासकीय भूमि का उपयोग किया जावे एवं यदि अपरिहार्य कारणों से निजी भूमि पर धान संग्रहण की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायत के माध्यम से निजी भूमि किराए पर ली जावे तथा निजी भूमि के किराए की राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जावे ।

9.10. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्ता के धान एवं मक्का के किस्मवार सेम्पल कृषकों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जावे।

9.11. प्रत्येक गांव में धान एवं मक्का के बोवाई रकबे के साथ–साथ उत्पादन की जानकारी उपार्जन केन्द्र स्तर तथा जिला स्तर पर भी संधारित किया जावे ।

9.12. धान एवं मक्का की खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में धान की भरती तथा तुलाई एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बारदानों, कांटे–बांट इत्यादि की व्यवस्था की जावे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जावे ताकि धान उपार्जन के कार्य में सुगमता बनी रहे ।

10. उपार्जन व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण –

10.1. खरीफ वर्ष 2019–20 की भांति खरीफ वर्ष 2020–21 में भी धान उपार्जन एवं निराकरण की समस्त कार्यवाही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है । खरीफ वर्ष 2020–21 में मक्का उपार्जन का कार्य धान खरीदी के समान ही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है । जिस हेतु निम्न कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराई जावे –

10.1.1. विगत वर्षों में उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु प्रयुक्त किए गए कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. का परीक्षण करा लिया जाए एवं यदि कोई उपकरण चालू हालत में न हो तो तत्काल उसमें सुधार करा लिया जाए । ये सभी उपकरण चालू हालत में हैं एवं कम्प्यूटर के इंस्टालेशन का कार्य उपार्जन केन्द्र में किया जा चुका है, इस आशय का प्रमाण–पत्र संबंधित सहकारी समिति के प्रबंधक से प्राप्त किया जाए । जिले के समस्त उपार्जन केन्द्रों की कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. की ओ.के. रिपोर्ट प्रबंध संचालक, मार्कफेड को यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाए । उपार्जन केन्द्रों में वर्ष 2020–21 के लिए साफ्टवेयर को अपलोड करने के संबंध में समस्त कार्यों हेतु आवश्यक निर्देश विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जायेंगे ।

10.1.2. धान उपार्जन केन्द्र, जहां वास्तविक रूप में धान खरीदी का कार्य होता है, उस स्थान पर ही कम्प्यूटर स्थापित किया जावे ताकि किसान को भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो एवं धान खरीदी कार्य पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बना रहे ।

10.1.3. कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं मोटर साईकल रनर्स का रिजर्व पूल आवश्यकतानुसार रखा जाए ताकि किसी भी आकस्मिक समस्या का तत्काल निराकरण किया जा सके ।

10.2. खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में जिन खरीदी केन्द्रों में नेटवर्क सुविधा उपलब्ध है वहां पर ऑनलाईन धान की खरीदी की जाए । इससे धान के लिये राशि एवं बारदाने की व्यवस्था तथा धान के निराकरण में जानकारियों के त्वरित आदान–प्रदान होने के कारण सुविधा होगी। इंटरनेट कनेक्टीविटी हेतु आवश्यक राशि मार्कफेड द्वारा प्रशासकीय मद की राशि से समितियों को आवश्यकतानुसार अग्रिम में प्रदान की जावे ।

10.2.1. कम्प्यूटर में किसी प्रकार की खराबी आने की स्थिति में विगत वर्षों की भांति मेनुअल धान खरीदी का प्रस्ताव तत्काल प्रबंध संचालक, मार्कफेड को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाए । प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा एक बार में अधिकतम 03 दिवस के लिए मेनुअल धान खरीदी की अनुमति दी जा सकेगी । मेनुअल धान खरीदी के रिकार्ड संबंधित सहकारी समिति द्वारा रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे तथा कम्प्यूटर के ठीक होने के उपरांत इसकी एन्ट्री सुनिश्चित की जाएगी । मेनुअल खरीदी के दौरान संबंधित उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र को धान प्रदाय किया जाएगा एवं राईस मिलर्स को धान प्रदाय नहीं किया जाएगा । किसी भी समिति द्वारा संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान 5 दिवस से अधिक समय तक मेनुअल खरीदी किए जाने की स्थिति में अगले वर्ष धान उपार्जन उस समिति में नहीं की जावेगी ।

10.2.2. मेनुअल धान खरीदी के लिए आवश्यक स्टेशनरी की व्यवस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा पूर्व से करा ली जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें धान उपार्जन केन्द्रों को प्रदाय किया जा सके ।

10.2.3. **खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में सहकारी समितियों में धान उपार्जन कार्य के लिए डाटाएन्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था गत खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 हेतु जारी विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–15/2018/29–1/पार्ट (VII) दिनांक 16.08.2019 (परिशिष्ट–10) में दिये गये निर्देशानुसार की जावे, किंतु डाटाएन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय रू. 15000/– प्रतिमाह प्रदान किया जाए ।**

10.2.4. ऑफलाईन उपार्जन केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार रनर्स की नियुक्ति मार्कफेड द्वारा की जावे । मोटर साईकल रनर्स द्वारा प्रतिदिन धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर का डेटा प्राप्त करके विकासखण्ड मुख्यालय पर लाकर विकासखण्ड मुख्यालय से डेटा एन.आई.सी. के माध्यम से इंटरनेट पर दर्ज किया जाएगा । इसी प्रकार एन.आई.सी. के सर्वर से इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त कर धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर में भी पहुंचायेंगे । अतः आप अपने जिले में ऐसे मोटर साईकल रनर्स की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं उपार्जन केन्द्रों के संलग्नीकरण की कार्यवाही मार्कफेड द्वारा निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करावें ।

10.2.5. ऑनलाईन खरीदी केन्द्रों का डेटा नियमित अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये । सभी उपार्जन केन्द्रों का अद्यतन डाटा अपलोड करना जिले के खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक व जिला विपणन अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा । समिति का डेटा 72 घंटे के अंदर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति कंडिका 14 में वर्णित इन्सेंटिव कमीशन हेतु पात्र नहीं होंगे ।

10.2.6. विकासखण्ड मुख्यालय में वर्तमान में उपलब्ध पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के व्ही.सेट को पूरी धान खरीदी अवधि के दौरान कार्यशील अवस्था में बनाए रखने हेतु समस्त आवश्यक

kp

कार्यवाही समय रहते हुए पूर्ण कर ली जावे ।

10.2.7. खरीफ वर्ष 2020–21 के दौरान मार्कफेड के सभी धान संग्रहण केन्द्रों में धान की प्राप्ति एवं प्रदाय की व्यवस्था पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं वेब–बेस्ड होगी । **खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में प्रारंभ होने वाले नए संग्रहण केन्द्र में यह कार्य समयानुसार पूर्ण कर लिया जावे ।**

10.2.8. जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों से मार्कफेड के जिन संग्रहण केन्द्रों में धान का प्रदाय किया जावेगा, उनका संलग्नीकरण संबंधित संग्रहण केन्द्रों से शीघ्र कर लिया जावे। कस्टम मिलिंग कम्प्यूटराईजशेन से संबंधित समस्त प्रक्रिया की जानकारी विभाग द्वारा कस्टम मिलिंग के संबंध में जारी किए जा रहे आदेश में विस्तृत रूप से दिए जा रहे हैं ।

10.2.9. **धान के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2020–21 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य मार्कफेड द्वारा कराया जावे ।** कृपया मार्कफेड द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

10.2.10. **मक्का के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2020–21 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कराया जावे ।** कृपया नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

10.2.11. **धान एवं मक्का खरीदी के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन जिले के प्रत्येक धान एवं मक्का उपार्जन केन्द्र में कराने हेतु एफ 4–20/2020/29 दिनांक 19.11.2020 जारी किया गया है तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।** इस ट्रायल रन में सभी धान उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र भाग लेंगे । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र का इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा । जो केन्द्र इसमें भाग नहीं लेंगे वे कंडिका 14 में वर्णित इन्सेंटिव कमीशन हेतु पात्र नहीं होंगे । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्वीकृत सभी धान एवं मक्का उपार्जन केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्व पूर्ण हो जाए।

11. उपार्जन के अन्य बिन्दुओं का प्रशिक्षण –

धान एवं मक्का खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक है कि निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता के धान व मक्का की खरीदी एवं चावल उपार्जन हेतु की गई कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय पत्र कमांक **एफ 4–20/2020/29 दिनांक 19.11.2020 जारी किया गया है ।**

12. गुणवत्ता –

12.1. **उपार्जन एजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुसार (परिशिष्ट–1) औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू.) का धान एवं मक्का क्रय किया जावेगा।**

12.2. एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का का क्रय सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले में संग्रहण केन्द्र स्तर एवं समिति स्तर पर निम्न समितियों का गठन किया जावे –

12.2.1. जिले में प्रत्येक संग्रहण केन्द्र स्तर पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया जावे, जिसमें खाद्य, विपणन संघ, जिला सहकारी बैंक, मंडी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी सम्मिलित हों । उक्त दल के द्वारा संग्रहण केन्द्र से संबंधित समितियों में धान एवं

मक्का खरीदी व्यवस्था की निगरानी की जावेगी एवं समिति/संग्रहण केन्द्र स्तर पर धान की गुणवत्ता संबंधी विवादों का निराकरण किया जावेगा। संग्रहण केन्द्र प्रभारी समिति द्वारा भेजे गये धान को अमानक करने हेतु स्वयं अधिकृत नहीं होंगे । संग्रहण केन्द्र में तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित दल द्वारा निरीक्षण कर विनिश्चय करने पर ही धान रिजेक्ट किया जायेगा। धान रिजेक्ट होने पर या तो समिति द्वारा धान वापस ले जाया जायेगा तथा स्पेशीफिकेशन के अनुरूप साफ/परिवर्तित कर विपणन संघ को प्रदाय किया जायेगा ।

12.2.2. सहकारी समिति स्तर पर सही गुणवत्ता एवं पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित करते हुए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाये, जिसमें निम्नानुसार सदस्य रखे जावेंगे –

1. सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के सरपंच
3. कलेक्टर द्वारा नामांकित 1 प्रतिनिधि
4. मा. प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 02 जन प्रतिनिधि (राईस मिलर न हो)

12.2.3. उक्त समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि भारत शासन द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) किस्म की धान एवं मक्का पंजीकृत किसानों से ही क्रय किया जाए ।

12.2.4. जिले में संग्रहण केन्द्र एवं समिति स्तर पर गठित उपरोक्त समितियों के सदस्यों के नाम, पदनाम सहित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा विभाग को अनिवार्य रूप से दिनांक 07 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध कराया जावे ।

13. भुगतान व्यवस्था –

13.1 **किसानों को धान एवं मक्का की राशि का भुगतान डिजीटल मोड से उनके बैंक खाते में राशि का अंतरण कर ही किया जाये ।** अंतरण के प्रमाण स्वरूप कृषकों को निर्धारित प्रारूप में उपार्जन केन्द्र पर ही कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे ।

13.2 धान उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाना है, अतः आवश्यकतानुसार उनकी साख सीमा निर्धारित किए जाने हेतु आवश्यक आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे ।

13.3 जिन समितियों में अधिक मात्रा में धान आता है उन समितियों के खाते वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी खोले जावें, जिससे किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान के भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

13.4 मार्कफेड द्वारा धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व धान के सुरक्षित रखरखाव हेतु समितियों को आवश्यकतानुसार धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय अग्रिम में प्रदान की जावे । नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मक्का खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व मक्का के सुरक्षित रखरखाव हेतु समितियों को आवश्यकतानुसार मक्का भण्डारण व सुरक्षा व्यय अग्रिम में प्रदान की जावे ।

13.5 मार्कफेड द्वारा खरीदी अवधि के दौरान धान उपार्जन हेतु धान का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान

भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा । समितियों द्वारा मदवार व्यय की गई जानकारी कम्प्यूटर में एंट्री की जायेगी ।

नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीदी अवधि के दौरान मक्का उपार्जन हेतु मक्का का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा । समितियों द्वारा मदवार व्यय की गई जानकारी कम्प्यूटर में एंट्री की जायेगी ।

13.6 प्रासंगिक व्यय व धान / मक्का भण्डारण व सुरक्षा व्यय के मद में प्रदाय की गई अग्रिम राशियों का समायोजन समिति द्वारा उक्त मदों में वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा तथा अव्ययित राशि को कमीशन की राशि से समायोजित किया जाएगा ।

14. समिति को इन्सेंटिव प्रदान करना –

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में ऐसी समितियों को प्रोत्साहन राशि (इन्सेंटिव) प्रदाय किया जावे, जिनमें :–

1. समिति में शॉर्टेज / कमी की मात्रा निरंक हो,
2. समिति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी हो तथा
3. शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन समिति द्वारा किया गया हो ।
4. परिवहन स्तर पर होने वाली कमी की वसूली / भरपायी मार्कफेड द्वारा परिवहनकर्ता से कर लिये जाने की स्थिति में

समितियों एवं उनके कर्मचारियों को इन्सेंटिव के रूप में 5 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि (2.50 रू. समिति हेतु एवं 2.50 रू. समिति द्वारा धान खरीदी कार्य में नियोजित अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु) प्रदाय की जावेगी ।

15. भण्डारण व्यवस्था –

15.1 धान के उचित भण्डारण हेतु भण्डारण केन्द्र स्थल का चयन, आवश्यक डनेज मटेरियल एवं कैप कव्हर्स आदि की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जावेगा । धान को खुले में कैप कव्हर में भण्डारित करने के लिए विगत खरीफ विपणन वर्ष में क्रय किए गए कैप कव्हर्स, सीमेंट ब्लॉक, चटाई, पॉलीथीन आदि का (जो अच्छी हालत में हो) उपयोग किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार डनेज सामग्री एवं कैप कव्हर मार्कफेड द्वारा समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये ।

15.2 **सभी संग्रहण केन्द्रों में खरीदी केन्द्रों से आने वाले धान की नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखा जाये । आर्द्रतामापी यंत्र का यथाशीघ्र कैलीब्रेशन करा लिया जाये ।**

15.3 मार्कफेड के संग्रहण केन्द्रों में यथासंभव मार्कफेड द्वारा धरमकांटा लगवाने की व्यवस्था की जाए ।

15.4 खरीफ वर्ष 2020–21 में प्रारंभ किये जाने वाले नये धान संग्रहण केन्द्रों में भी धान के सुरक्षित भण्डारण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जावे ।

15.5 संग्रहण केन्द्रों में खरीदी अवधि के दौरान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे जो समिति से आने वाले धान के तौल, पावती प्रदाय, धान की गुणवत्ता, बारदाना में छपाई आदि व्यवस्था की निगरानी करेगा ।

15.6 मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान को यथासंभव निकटतम मिलिंग केन्द्रों की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारित कराया जावे ।

15.7 खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में विगत वर्षों में कुछ जिलों में मिलिंग / भण्डारण की परेशानी को देखते हुए धान के त्वरित निराकरण हेतु एवं उपलब्ध मिलिंग क्षमता के उपयोग हेतु कुछ जिलों में उपार्जित धान की कुछ मात्रा को शुरू से ही अन्य जिलों के संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकतानुसार भण्डारित किया जाए । उक्त हेतु अंतर जिला धान स्थानांतरण हेतु अनुमानित धान भण्डारण की कार्ययोजना **परिशिष्ट–11** पर संलग्न है । **धान खरीदी का कार्य पूर्ण होने पर उपार्जित धान की मात्रा के आधार पर कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी ।**

15.8 खरीदी केन्द्र में भण्डारित समस्त धान को मार्कफेड द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2021 तक अनिवार्य रूप से उठाव कराया जावे ।

15.9 धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी ।

16. परिवहन व्यवस्था –

16.1 खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 हेतु परिवहन की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जायेगा । खाद्य विभाग भारत सरकार के पत्र कमांक 192(14)/2018-FC A/cs दिनांक 06.05.2019 (**परिशिष्ट–12**) में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से धान / सी.एम.आर. का परिवहन दर का निर्धारण किया जावेगा ।

16.2 खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में चावल के परिवहन दर का भुगतान धान के परिवहन दर के आधार पर ही किया जाएगा ।

16.3 धान के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन न किये जाने पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है । मार्कफेड द्वारा परिवहन नहीं कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत परिवहन दर पर समितियों द्वारा धान का परिवहन कराया जावे । इस हेतु समिति उसे धान भण्डारण व सुरक्षा मद अथवा प्रासंगिक व्यय के मद में प्रदत्त अग्रिम राशि का उपयोग परिवहन देयकों के भुगतान हेतु कर सकेगी तथा ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति विपणन संघ द्वारा समिति को की जाएगी । समितियों द्वारा धान परिवहन कराये जाने पर संग्रहण केन्द्रों में धान भण्डारण करने हेतु उचित व्यवस्था मार्कफेड द्वारा की जावे ।

16.4 खरीदी केन्द्र में धान की बफर स्टॉक की सीमा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा तय किया जावे । खरीदी केन्द्र में धान की मात्रा बफर स्टॉक की सीमा से ज्यादा होने पर 72 घंटे के भीतर उसका शीघ्र उठाव कराया जावे ।

16.5 खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये । नई बारदाना नीति एवं धान के त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावे । इस संबंध में जिलों का संलग्नीकरण **<u>परिशिष्ट–11</u>** में दर्शित अनुसार किया जावे । धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिर्वतन किया जा सकता है। खरीदी केन्द्र से अन्य संलग्न जिले के मिलर्स द्वारा मिलिंग हेतु सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना **<u>परिशिष्ट–11</u>** में दर्शित है ।

16.6 मिलर्स को धान प्रदाय करने की प्रक्रिया कस्टम मिलिंग के निर्देश अनुसार की जाए ।

16.7 धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत रेण्डम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा । परिवहनकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर समिति द्वारा शतप्रतिशत धान का वजन कराया जावे ।

16.8 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से धान लाकर सीमावर्ती जिलों के खरीदी केन्द्रों में विक्रय करने की आशंका रहती है । अतः सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स राज्य की सीमा पर आवश्यक चेकिंग दल तत्काल तैनात कर विभाग को सूचित करें । चेकिंग दल में राजस्व, खाद्य, मंडी, सहकारिता फॉरेस्ट एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जावे । सीमावर्ती जिलों की 68 खरीदी केन्द्रो में विशेष निगरानी रखी जावे, ऐसे खरीदी केन्द्रों की सूची **<u>परिशिष्ट–13</u>** पर संलग्न है ।

16.9 खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन राज्य के पंजीकृत किसानों से किया जाना है । धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत इसके विकय की आशंका बनी रहती है, इसलिए 30 अप्रैल 2021 तक अन्य राज्यों से धान का आयात संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की अनुमति से ही हो सकेगा । सुपर फाइन किस्म का धान जो 1900 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिये संचालक, खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है । परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक को देना होगा ।

17. <u>हानि की प्रतिपूर्ति एवं समितियों को कमीशन/प्रासंगिक व्यय</u> –

17.1 खरीफ वर्ष 2020–21 में धान एवं मक्का के उपार्जन कार्य हेतु नियुक्त एजेंसी को भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर देय प्रासंगिक व्ययों के उपरांत भी यदि हानि होती है तो हानि की प्रतिपूर्ति तत्संबंध में राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जावेगी ।

17.2 धान उपार्जन कार्य हेतु निम्नानुसार कमीशन एवं अन्य व्यय देय होंगे –

17.2.1 **उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड अथवा मिलर्स को प्रदाय धान हेतु प्रासंगिक व्यय की राशि (मंडी लेबर चार्ज) का निर्धारण भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा प्रचलित कार्यवाही अनुसार होगी । धान भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय के रूप में 3.00 रूपये प्रति क्विंटल के मान से देय होगी । संग्रहण केन्द्रों में हैण्डलिंग चार्ज का निर्धारण उपरोक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा ।**

17.2.2 समितियों को धान उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन देय होगा।

17.2.3 राशि 5.00 रूपये प्रति क्विंटल बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में मार्कफेड द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को देय होगी । **रायगढ़ एवं जशपुर जिले में उपरोक्त कार्य अपैक्स बैंक द्वारा किया जाता है, अतः यह राशि अपैक्स बैंक को प्रदाय की जावे।** अपैक्स बैंक को धान खरीदी कार्य में समन्वय एवं पर्यवेक्षण कार्य के रूप में सुपरवाइजिंग कार्य हेतु राशि रूपये 0.50 (50 पैसे) प्रति क्विंटल मार्कफेड द्वारा प्रदाय किया जाएगा । शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 4–8/खाद्य/2014/29–2/2436 दिनांक 04.07.2016 **(परिशिष्ट–14)** द्वारा निर्धारित किये गये प्रशासनिक कार्यों के अनुसार अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा कार्य सुनिश्चित किए जाने पर एवं विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन किये जाने पर, उक्त राशि मार्कफेड द्वारा प्रदाय की जाएगी ।

17.2.4 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को आवश्यक स्टेशनरी का मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाएगा । इस कार्य हेतु व्यय राशि की प्रतिपूर्ति मार्कफेड द्वारा नहीं की जाएगी ।

17.2.5 मार्कफेड को मिलर्स को अरवा/उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि पर आये व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी ।

17.2.6 **समिति स्तर पर समिति द्वारा मिलर को धान लोड कर प्रदाय किया जावे । संग्रहण केन्द्र से मिलर द्वारा धान उठाव करने पर लोडिंग की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे एवं अनलोडिंग की राशि प्रदाय की जावे।**

17.3 मक्का खरीदी कार्य के लिए समिति को कमीशन के रूप में 8 रूपये प्रति क्विंटल, प्रासंगिक व्यय के रूप में 5 रूपये प्रति क्विंटल तथा भंडारण एवं सुरक्षा व्यय के रूप में 1 रूपये प्रति क्विंटल देय होगी ।

18. कस्टम मिलिंग –

18.1 खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा। धान की कस्टम मिलिंग संबंधी समस्त कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । इस संबंध में विस्तृत निर्देश कस्टम मिलिंग प्रकिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं ।

18.2 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत राज्य की पीडीएस की आवश्यकता की पूर्ति हेतु चावल उपार्जन कार्य पूर्व की भांति नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा तथा सरप्लस चावल पूर्वानुसार भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जायेगा ।

19. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण –

19.1 धान एवं मक्का उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जावेगी । इस संबंध में प्रति वर्ष अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे ।

19.2 धान एवं मक्का उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों को खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800–233–3663 में दर्ज कराया जावे । कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में संचालित किया जाएगा । कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में किया जावे । प्राप्त शिकायत का निराकरण 3 दिवस के भीतर में उपार्जन एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर एवं कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर किया जावे ।

19.3 जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये । इससे धान उपार्जन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सुविधा होगी, और उपार्जन के दौरान आने वाली समस्याओं / कठिनाईयों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा । जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों में पदस्थ कर्मचारियों तथा दूरभाष नंबरों की जानकारी राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को शीघ्र उपलब्ध कराई जावे । इसके साथ ही धान एवं मक्का के उपार्जन से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी नियमित रूप से विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जावे।

19.4 उपार्जित धान एवं मक्का के भुगतान हेतु आवश्यक राशि, बारदानें एवं परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उपार्जन केन्द्र अथवा एक से अधिक उपार्जन केन्द्रों हेतु एक नोडल अधिकारी कलेक्टर द्वारा नियुक्ति किया जावे, जो उक्त समस्त व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं आवश्यक सूचना संबंधितों को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

19.5 **खरीफ विपणन वर्ष 2020–2021 में विगत खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में 1 प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन खरीदी की जावेगी। इन खरीदी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट–15 पर संलग्न है ।**

19.6 धान उपार्जन, संग्रहण एवं इसके निराकरण के प्रत्येक स्तर पर संधारित रजिस्टरों एवं अन्य अभिलेखों के प्रारूप में एकरूपता बनाने हेतु मार्कफेड द्वारा इनका आवश्यकतानुसार संख्या में मुद्रण कराकर यथाशीघ्र धान उपार्जन केन्द्र, धान संग्रहण केन्द्र एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध कराया जावे ।

19.7 समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन की समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था कलेक्टरों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न की जावेगी। धान एवं मक्का के उपार्जन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से सीधे संपर्क किया जा सकता है ।

20. **सुरक्षा व्यवस्था** –

धान एवं मक्का उपार्जन के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्थानीय बैंकों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के परिवहन के दौरान समुचित सुरक्षा हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यकतानुसार संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाये । पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा ।

21. **बीमा** –

21.1 प्राकृतिक आपदाओं, अग्नि दुर्घटना एवं चोरी से धान की गुणवत्ता अथवा मात्रा प्रभावित होने से राज्य शासन को होने वाली हानि से बचने के लिए मार्कफेड द्वारा धान का बीमा कराया जाये ।

21.2 यदि समिति स्तर पर हुई क्षति का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा समिति की किसी गलती के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है तो इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति समिति द्वारा वहन की जाएगी।

21.3 धान उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का सामूहिक बीमा मार्कफेड द्वारा कराया जाये । इस हेतु उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वांछित जानकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा मार्कफेड को दिनांक 07 दिसंबर, 2020 तक उपलब्ध कराई जाये ।

22. **COVID-19 से बचाव हेतु व्यवस्था** :–

खरीफ वर्ष 2020–21 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अवधि के दौरान COVID-19 से बचाव हेतु विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–20/2020/29–1 दिनांक 19 नवंबर 2020 **(परिशिष्ट–16)** द्वारा जारी SOP का पालन किया जावे ।

23. **खरीदी केन्द्रों का मिलान** –

धान खरीदी केन्द्रों के मिलान का कार्य समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं मार्कफेड द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण की जाए । मक्का खरीदी केन्द्रों के मिलान का कार्य समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दिनांक 15 जून, 2021 तक पूर्ण की जाए ।

24. **मक्का उपार्जन** –

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित मक्का का टी.पी.डी.एस. में वितरण नहीं होने के कारण नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा विक्रय खुली निविदा (Open Tender) के माध्यम से विक्रय कर निराकरण किया जावे । नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खुली निविदा (Open Tender) के माध्यम से विक्रय कर निराकरण करने पर हानि प्रतिपूर्ति नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा किया जावेगा ।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु निर्धारित सभी आवश्यक कार्यवाहियां समय–सीमा में पूर्ण करते हुए विभाग को अवगत करावें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

पृ.क्रमांक एफ 4–20/2020/29 नवा रायपुर, दिनांक 19 नवंबर, 2020

<u>प्रतिलिपि</u> –

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
6. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को कंडिका 20 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कंडिका 19.1 के संदर्भ में आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
14. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।
15. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
16. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, नवा रायपुर अटल नगर।
17. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., नवा रायपुर अटल नगर।
18. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, नवा रायपुर अटल नगर।
19. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर ।
20. पंजीयक, सहकारी संस्थाए, नवा रायपुर अटल नगर।
21. प्रबंध संचालक, कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर ।
22. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर ।
23. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर को बिन्दु क्रमांक 9.6 के संदर्भ में परिपालन हेतु ।
24. संचालक, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।
25. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी., मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर। उपरोक्त हेतु आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रेषित ।
26. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर ।
27. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
28. समस्त जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. छत्तीसगढ़ ।
29. समस्त जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ छत्तीसगढ़ ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

No.8-4/2020-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
******

परिशिष्ट-1

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 28.09.2020

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.........................
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 2020-21 for central pool procurement-reg.

Sir,

I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21.

It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2020-21 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2020-21 are also enclosed.

Encl: As above.

Yours faithfully,

28/9/2020
(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23384784

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY (KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana, Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances.

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limit (%)
1.	Foreign matter	
	a) Inorganic	1.0
	b) Organic	1.0
2.	Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains	5.0*
3.	Immature, Shrunken and shrivelled grains	3.0
4.	Admixture of lower class	6.0
5.	Moisture content	17.0

* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4%.

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part -I): 1996, IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: Nos.2813-1995, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.

******

28/9/2020

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conform to prescribed norms under Food Safety & Standards Act, 2006/Rules prescribed hereunder.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions		Maximum Limit (%)	
			Grade 'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	13.0	13.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	14.0	14.0
10.	FRK (Fortified Rice Kernel)	In case of procurement of fortified rice stock, 1% of FRK (w/w) should be blended with normal rice stock.		

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut upto 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

******

[signature] 28/9/2020

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON VARIETIES OF RICE.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002 "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where, N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Brokens less than $1/8^{th}$ of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the broken average length of the principal class of rice should be taken into account.
4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot. if it is more. the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice. shall be treated as Inorganic foreign matter.
5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique. it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied. the time for which pressure is applied. proper gelatinisation. aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

****

22/9/2010

STANDARDS OF RICE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/ UT ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER WELFARE SCHEMES.

Guidelines for issue/disposal of wheat and rice have been issued vide Department letter No 8-2/98-DRIII dated 27.01.1998 and 13.111998. Gist of standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and OWSs along with updated illustrations for KMS 2020-21 is as under:

1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under.
2. Rice stocks are falling within A, B & C categories (categorization is based on damaged and discolored grains) conforming to food safety norms and free from insect infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and dehusked grains are upto 20% in excess of the uniform specifications.

Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rice based on uniform specifications for KMS 2020-21 is as under:

S.No	Refraction		Maximum limit (%) as per uniform specifications for Grade 'A' & Common	Maximum permissible limit (%) for Grade 'A' & Common
1	Damaged/Slightly Damaged/Pin-point Damaged Grains	Raw	3	5
		Parboiled/Single Parboiled Rice	4	5
2	Discolored Grains	Raw	3	7
		Parboiled/Single Parboiled Rice	5	7
3	Broken	Raw	25	30
		Parboiled/Single Parboiled Rice	16	19
4	Chalky Grains	Raw	5	6
5	Red Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	3	4
6	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	13	16
7	Foreign Matter	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	0.5	1.0

*****

UNIFORM SPECIFICATION FOR MAIZE
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

The maize shall be the dried and matured grain of *Zea mays*. It shall have uniform shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to prescribed norms under Food Safety & Standards Act,2006/Rules prescribed hereunder.

Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, moulds weevils, obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No.	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	2.0
3.	Damaged grains	1.5
4.	Slightly damaged, discoloured and touched grains	4.5
5.	Shrivelled & Immature grains	3.0
6.	Weevilled grains	1.0
7.	Moisture content	14.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N.B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: 2813- 1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra Seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should not be treated as shrivelled and immature grains.

******

28/9/2020

परिशिष्ट-2

वर्ष 2020-21 में मंडी/उपमंडी प्रांगणों में धान उपार्जन केन्द्रों की सूची

क्र.	जिले का नाम	क्र.	मण्डी / उपमण्डी: मण्डी	क.	उपमण्डी
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर		—	1	सिलयारी (रायपुर)
		1	नवापारा		—
		2	आरंग		—
		3	नेवरा	2	खरोरा (नेवरा)
		4	अभनपुर		—
2	बलौदा बाजार		—	3	सिमगा (भाटापारा)
		5	बलौदाबाजार	4	पलारी / रसौटा (बलौदाबाजार)
				5	**पनगांव (बलौदाबाजार)**
		6	भटगांव	6	सरसींवा (भटगांव)
3	गरियाबंद	7	गरियाबंद	7	छुरा (गरियाबंद)
				8	देवभोग (गरियाबंद)
		8	राजिम		—
4	महासमुद	9	महासमुद	9	झलप (महासमुन्द)
				10	भोरिंग (महासमुन्द)
		10	बागबहरा		—
		11	सरायपाली	11	बलौदा (सरायपाली)
				12	तोषगांव (सरायपाली)
		12	बसना	13	भंवरपुर (बसना)
				14	सिंघनपुर (बसना)
		13	पिथौरा	15	भुरकोनी (पिथौरा)
				16	पिरदा (पिथौरा)
5	धमतरी		—	17	आमदी (धमतरी)
				18	छाती (धमतरी)
		14	कुरूद	19	मगरलोड (कुरूद)
				20	सिर्री (कुरूद)
				21	भेण्डी (कुरूद)
		15	नगरी	22	**रिसगांव (नगरी)**
				23	बेलरबाहरा (नगरी)
				24	गट्टासिल्ली (नगरी)
6	बालोद	16	बालोद	25	डौंडी लोहारा (बालोद)
				26	डौंडी (बालोद)
				27	गुरूर (बालोद)
7	बेमेतरा	17	बेमेतरा	28	थान खम्हरिया (बेमेतरा)
				29	साजा (बेमेतरा)
				30	बेरला (बेमेतरा)
				31	नवागढ़ (बेमेतरा)
				32	दाढ़ी (बेमेतरा)

C:\Users\acer\Downloads\Dhan Uparjan Kendra Suchi 19-20.xlsx

क्र.	जिले का नाम	क्र.	मण्डी / उपमण्डी		
			मण्डी	क.	उपमण्डी
1	2	3	4	5	6
8	राजनांदगांव	18	डोगरगांव		–
		19	बांधाबाजार		–
		20	गण्डई		–
9	कबीरधाम	21	कवर्धा	33	पिपरिया (कवर्धा)
		22	पण्डरिया	34	कुण्डा (पण्डरिया)
10	बिलासपुर	23	**बिलासपुर**	35	बिल्हा (बिलासपुर)
				36	बेलतरा (बिलासपुर)
		24	तखतपुर		–
		25	कोटा		–
		26	जयरामनगर		–
		27	पेण्ड्रारोड		–
			–	37	रतनपुर (कोटा)
11	मुगेली		–	38	सरगांव (मुंगेली)
				39	पथरिया (मुंगेली)
		28	लोरमी		–
12	जांजगीर		–	40	शिवरीनारायण (नैला)
				41	बलौदा (नैला)
			–	42	राहौद (अकलतरा)
			–	43	बाराद्वार (सक्ती)
		29	चांपा	44	बिर्रा (चांपा)
			–	45	चंद्रपुर (आमनदुला)
				46	कोटमी (आमनदुला)
		30	आमनदुला		–
		31	जैजैपुर		–
			–	47	हसौद (जैजेपुर)
13	कोरबा		–	48	भैसमा (कटघोरा)
14	रायगढ	32	**रायगढ़**	49	पुसौर (रायगढ़)
				50	चिखली (रायगढ़)
		33	**सारंगढ़**	51	केडार (सारंगढ़)
		34	बरमकेला	52	सरिया (बरमकेला)
			–	53	सलिहाभांठा (घरघोड़ा)
			–	54	धरमजयगढ़ (घरघोड़ा)
15	सरगुजा	35	**अंबिकापुर**	55	**ककनी (अंबिकापुर)**
16	जशपुर	36	**जशपुर**	56	कुनकुरी (जशपुर)
			–	57	कोतबा (पत्थलगांव)
			–	58	उदयपुर (अंबिकापुर)
17	सूरजपुर	37	सूरजपुर		–
		38	प्रतापपुर		–
18	बलरामपुर	39	रामानुजगंज	59	बरियों (कुसमी)
		40	कुसमी	60	राजपुर (कुसमी)

C:\Users\acer\Downloads\Dhan Uparjan Kendra Suchi 19-20.xlsx

JS

क्र.	जिले का नाम	क्र.	मण्डी / उपमण्डी		
			मण्डी	क.	उपमण्डी
1	2	3	4	5	6
19	कोरिया	41	बैकुण्ठपुर		–
		42	मनेन्द्रगढ़		–
20	जगदलपुर		–	61	जैतगिरि (जगदलपुर)
				62	तोकापाल (जगदलपुर)
				63	बस्तर (जगदलपुर)
				64	देवडा (जगदलपुर)
				65	कुकानार (जगदलपुर)
21	कोण्डागांव	43	केशकाल	66	फरसगांव (कोण्डागांव)
			–	67	धनोरा (केशकाल)
				68	विश्रामपुरी (केशकाल)
				69	गम्हरी (केशकाल)
22	कांकेर	44	कांकेर	70	अमोडा (कांकेर)
				71	सरोना (कांकेर)
				72	बारदेवरी (कांकेर)
		45	चारामा	73	लखनपुरी (चारामा)
				74	नरहरपुर (चारामा)
		46	संबलपुर	75	कोरर (संबलपुर)
		47	पखांजूर	76	अंतागढ (पखांजूर)
23	दंतेवाड़ा	48	गीदम		–

J S Food

C:\Users\acer\Downloads\Dhan Uparjan Kendra Suchi 19-20.xlsx

परिशिष्ट (3)

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में अनुमानित धान उपार्जन

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	अनुमानित धान उपार्जन की मात्रा
1	2	
1	जगदलपुर,बस्तर	125600
2	बीजापुर	62700
3	दन्तेवाड़ा	10500
4	कांकेर	293200
5	कोण्डागांव	120400
6	नारायणपुर	11500
7	सुकमा	33500
8	बिलासपुर	446900
9	गौ.पे.म.	61000
10	जांजगीर–चांपा	837650
11	कोरबा	120400
12	मुंगेली	345500
13	रायगढ़	513200
14	बालोद	539300
15	बेमेतरा	555000
16	दुर्ग	397900
17	कवर्धा	314000
18	राजनांदगांव	706800
19	बलौदाबाजार	685900
20	धमतरी	439800
21	गरियाबंद	324500
22	महासमुंद	774900
23	रायपुर	528800
24	बलरामपुर	136000
25	जशपुर	85800
26	कोरिया	94250
27	अम्बिकापुर(सरगुजा)	157000
28	सूरजपुर	178000
	कुल योग	**8900000**

JS

परिशिष्ट-(4)

No.15-8/2004-Py.III(Pt.)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
****

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated 18th May, 2017

To
1. The Principal Secretary / Secretary (Food),
Governments of Andhra Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Odisha, Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu, Uttarakhand, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal.

2. The Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi.

3. The CMD, FCI-HQ, New Delhi.

4. The Jute Commissioner, Kolkata.

5. Director General (S&D), DGS&D, New Delhi.

Subject: Guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy.

Sir,

I am directed to refer to the "Guidelines for use of Paddy released jute Bags which have been used only once for procurement of wheat, coarse grains & paddy regarding amendment in gunny depreciation" issued vide this department letter of even no. dated 04.02.2016 which has now been revised as given below.

2. The revised guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy has been approved by the Competent Authority. The same is enclosed herewith for further necessary action.

Encl: As Above.

Yours faithfully,

23 MAY 2017

क्रमांक ...193....Po.Sa...
आयुक्त, खाद्य, नाग.आ. एवं उ.सं. विभाग
दिनांक 23 MAY 2017 2017

(Brij Bihari Dal)
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

Copy To:
1. Joint Secretary (BP&PD).
2. Joint Secretary (Impex, SRA & EOP&IC).
3. DS (Finance).
4. PS to JS (P&FCI).
5. PI Cell, FC A/Cs Section.

TL

PI SK

SS (MS)
JS (AS) } Together

Revised Guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy:

i) Once this policy comes into force, earlier policy of once used gunny bags issued vide letter no. 15-8/2004.Py.III(Pt.) dated 04.02.2016 will be superseded.

ii) Only new jute bags shall be made available for packaging of the quantum of rice to be procured under central pool.

iii) These new jute bags shall be used for packaging of procured paddy along with the old bags subject to the condition that at least half of the procured paddy is to be filled in new jute bags in which rice is to be delivered after milling. The packaging of food grains during procurement should be ensured as per provisions of Jute Packaging Materials Act, 1987 (JPMA).

iv) Old or any type of bags, irrespective of their marketing season, are permitted for packaging of procured paddy during procurement operation subject to condition that there is no loss of paddy in terms of quality and quantity. In case, any loss is experienced, it will be solely on account of State Government.

v) Arrangement of any type of bags for packaging of procured paddy shall be the responsibility of concerned state Governments and their agencies.

vi) For packaging of procured paddy in any type of bags during procurement operation, only usage charges shall be allowed in provisional cost sheet to State Government and will be fixed by GoI from time to time.

18/5/2017

परिशिष्ट-5

No.15-28/2020-Py.III(E.373370)
Government of India

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
****

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated: 20/10/2020

To
The Secretary/ Principal Secretary (Food),
State Govt. of Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal & Madhya Pradesh

Subject: Permission for use of used gunny bags for Storage of Rice in view of the short supply of jute bags by jute mills in KMS 2020-21.

Ref-1. State Govt. of Chattissgarh's letter no. एफ 10-40/2014/29-1, dated -10/09/2020.

2. State Govt. of Jharkhand's letter No. खा०प्र०02-अधि०बैग 2/2019/2374, dated -14.09.2020,

3. State Govt. of Uttar Pradesh's letter No. 3574 / अ0आ0(वि0)/1230-
बोरा-ख0वि0व/2020-21, dated -24 सितम्बर, 2020.

4. State Govt. Uttarakhand letter No. 1322/आ०वि०शा०/बोरा/2020-21, dated, 16 सितम्बर, 2020.

5. State Govt of West Bengal's letter No. 2411 - FNS-24014/2/2020-
PROC SEC-Dept. of FNS, dated- 28th September 2020.

6. State Govt of Madhya Pradesh's letter No. एफ 5-1 (1-1 ख)/2020 /29-1, dated- 28/09/2020

Sir/ Madam,

क्रमांक 3157
स. (खा.) खा.ना.आ. एवं उप. संर.वि.
दिनांक 27/10 2020

आवक क्रमांक 2855
विशेष सचिव/खाद्य/2015
दिनांक 28-10-20 2015

I am directed to refer to State Governments' requests as mentioned in Ref. no.1-6 above, seeking permission for utilization of Used Jute Bags for packing rice due to short supply of new jute bags by jute mills.

2. The requests of the State Govt's. of Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and Madhya Pradesh have been examined and keeping in view the acute shortage of new Jute bags due to short supply by jute mills , the competent authority, as a onetime measure, has approved the use of Used gunny bags for packaging of rice for supply to central pool till the approved milling periods. Accordingly, this Deptt.'s guidelines, as contained in letter no.15-8/2004-Py.III(Pt.I) dated 18.5.2017 and letter no.15-14/2018-Py.III, dated 13.12.2018 have been relaxed to accommodate requests of State Governments. This approval is subject to following conditions:

I. Only sound Jute gunny bags, preferably released from PDS issues, without any cut or tear or major repair shall be used. Procurement of such bags should be from PDS dealers or as per standard practice being followed by State Govts.
II. Rice may be filled after reversing the bags and proper stenciling may be done as per the prescribed colour code.
III. Stenciling on the bags shall clearly carry an additional mark of "Used bag allowed for KMS 2020-21".
IV. Color of the stenciling to be done by rice Millers/procuring agency delivering rice in used bags shall be Red for easy identification.
V. Such bags may be utilized on priority for delivery of rice for consumption within the State.
VI. The State Agencies shall ensure to maintain separate stack identity for the rice delivered in used gunny bags.
VII. Proper account shall be maintained for rice delivered in such bags and monthly report regarding use of used bags would be given to FCI during the time period in which such bags are used.
VIII. Separate claim regarding use of such bags would be submitted at the time of claiming food subsidy along with the copies of reports sent to FCI.
IX. An undertaking would be submitted by State government to the extent that the used gunnies are made of jute of Indian

origin and made in India.

X. In case of any deterioration in quality of rice and resultant loss will not be responsibility of the Govt of India and financial implication arising out of this, will not be borne by the Govt. Of India.

XI. Proper accounting of used bags being utilized for supply of rice along with their costings, payment receipts, work orders etc, is to be maintained by the State Govts Agencies for verification/accounting purpose at the time of finalization & Audit etc.

3. As regards rate of such Used bags it is informed that it has been decided to include Rs.22/bag or lower rates (inclusive of GST etc) as conveyed / proposed by State Govt in the Provisional Cost Sheet (PCS) for the used jute bags with the condition that any differential amount to be paid or to be recovered from the State Govt based on the actual rates incurred by them for purchase of these old bags, will be settled at the time of finalisation based on documentary evidences & audited accounts to be submitted by the State Govts. For the rice delivered or distributed in Central Pool, FCI/ DFPD will reimburse the cost incurred as per the PCS rate. In the finalization stage of account settlement, the Food Secretary shall provide the certificate along with summary of actual expenditure and adjustment of the payable amount will be made accordingly. State Govt./ Procuring Agency must keep the record of procurement of used bags, like work orders for the supply of used bags and payment vouchers based on which the certification is made so that statutory auditors can conduct detailed audit and the report be submitted at the finalization stage.

4. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Encl: As above

Digitally signed by INDERDEEP KANDWAL
Date:Tue Oct 20 18:14:45 IST 2020
Reason: Approved

(Inderdeep Kandwal)
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

परिशिष्ट-6

No. 15-24/2020-Py.III(E.372173)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
****

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated: 28/10/2020

To
The Principal Secretary/ Secretary (Food),
State Govt. of Chhattisgarh

Subject: Regarding use of new HDPE/PP bags in lieu of old gunnies for procurement of paddy.

Sir,

I am directed to refer to the request received from State Govts. of Chhattisgarh vide letter No. F 10-40/2014/29-1, dated 10.09.2020 requesting for grant of permission for procurement and utilization of new HDPE/PP bags in lieu of old gunnies for procurement of paddy in KMS 2020-21 in view of estimated shortage of new Jute bags.

2. The matter has been examined in this Department and keeping in view the severe shortage of jute bales it has been decided to accord the permission to use 0.70 lakh bales HDPE/PP bags for procurement of paddy in KMS 2020-21 to State Govt. of Chhattisgarh. In case of deterioration or impact on quality of paddy owing to packaging in HDPE bags and resultant financial implications, GoI will not be in any way responsible for the same and any other issue arising out of this. The Procurement of HDPE/ PP bags would be through GeM only. State Govt. to follow the standard procedure (like establishing the reasonability of L1 Cost etc) as well as past practices followed by State Govts in this regard. The financial implications arising out of the proposal is under examination in consultation with D/o Chemical & Petrochemicals and till then normal usage charges @ Rs 7.32/bag will be continued in the PCS for KMS 2020-21 for these bags.

3. This issues with the approval of the competent authority.

परिशिष्ट-(6.1)

No 15 (8)/200 Py.III(Pt)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated ~~September~~ 5th October, 2017

To

1. The Principal Secretary/ Secretary (Food), Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.
2. The CMD, FCI-HQ, New Delhi.

Subject: Revision of Usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2017-18 as per existing guidelines.

Sir,

I am directed to refer to this department letter of even no. dated 11.08.2017 wherein usage charges on the earlier recommendations from FCI @Rs 10/qtl for packaging of procured paddy as per existing guidelines were communicated.

2. Considering the requests regarding enhancement of usage charges made by States & on the basis of revised recommendations received from FCI, it is to inform that this department has decided to revise the usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2017-18 to lower of the actual claim of State Govt or Rs 7.32/bag subject to the following conditions:

a) The said usage charges shall be admissible subject to the State's Principal/Food Secretary or M.D of State Agency shall certify that for filling of paddy, the old bags arranged by the State/miller is being used only once after purchase. State shall also provide necessary supporting documents/ certifications of gunny accounts.

b) In case State fails to provide appropriate documentation/certification, the usage charges shall be limited to Rs 3.75/bag for packaging of procured paddy in old bags or actual claim whichever is lower.

c) (i) The cost associated with proposed usage charges i.e Rs 7.32/bag shall be considered as per practice of filling of average 37.5 Kg paddy in a bag of 50 Kg capacity. In case State Govt fills more than 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg jute bag, the actual number of old bags filled with paddy required for 1 quintal of CMR (after applying relevant OTR) shall be considered. For example, if State Govt actually fills 40 Kg paddy in 50 Kg capacity jute bags, the actual number of old bags considered shall be 1.73 bags for Raw-rice and 1.68 bags for parboiled rice after applying OTR of 0.67 & 0.68 respectively.

(ii) In case State Govt fills 37.5 Kg paddy or lesser than 37.5 kg paddy in a capacity of 50 Kg Jute bag, reimbursement w.r.t 1 quintal of CMR (considering OTR as 0.67) shall be considered for cost of 2 new bags & usage charges will be admissible for 1.98 old jute bags as per standard practice of filling average 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg bag.

d) The usage charge will be allowed for half of the quantity of paddy procured by State. Rest half of paddy is to be packed in new gunny bags in which rice is to be delivered subsequently.

e) Provisions of GFR of 2005/2017 should be followed by States/FCI while arranging bags for packaging of procured paddy as per existing guidelines.

3. This issues with the approval of competent authority.

सचिव, खा.ना.आ. एवं उ.सं. विभाग
दिनांक 12-X-17 201

11 OCT 2017

Yours faithfully,

(Brij Bihari Lal) 10/2017
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

परिशिष्ट-6.2

No.15-14/2018-Py.III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
Krishi Bhavan, New Delhi.
****

Dated Nov, 2018
13th Dec, 2018

To
1. The Principal Secretary/ Secretary (Food), All States/UTs.

2. The CMD, FCI-HQ, New Delhi.

Subject: Usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2018-19 onwards as per existing guidelines.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this department letter no. 15-8/2004.Py.III(Pt.) dated 18.05.2017 wherein guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy were communicated.

2. Considering the requests made by States relating to practical problems faced by them w.r.t conditions specified in usage charge for KMS 2017-18 in letter dated 05.10.2017 and discussion held with the States, it is to inform that this Department has decided to fix the usage charges for packaging of paddy for KMS 2018-19 as Rs 7.32/bag or the actual cost incurred by the State Govt, if it is lower than Rs 7.32/bag subject to the following conditions:

a)The concerned Agency/State Government shall maintain a proper account of the number of used jute bags procured and used for packaging of paddy procured in a Procurement Season in the format enclosed as Annexure-I. The account of bags shall have to be maintained at the level of the miller/SPA, if the procurement of old bags is done by them, and after compilation of said information, the State shall have to provide the following declaration along with the consolidated account of bags while submitting the claim for usage charges:

> *"This is certified that account of gunny bags furnished in the format as prescribed in Annexure-I of letter no ..... dated .... For KMS/....... is based on actual details of Gunny bags maintained by the State/SPA's/millers"*

Signature:(SPA/Secretary (Food), State)
Full Name:

b) The claim of the State/UT for the reimbursement of usage charges shall not be considered if the State/UT fails to furnish the aforesaid undertaking/certificate and account of bags in prescribed format as per Annexure-I.

c) States/SPAs must keep the record of procurement of used bags, like work orders for the supply of used bags and payment vouchers. In case of used bags being procured by millers, the records in support of procurement shall be maintained by the millers and the records of procurement so maintained by millers/SPAs/State shall be available for the inspection by higher authorities of State/ Central Govt and Audit.

d) The cost associated with proposed usage charges i.e Rs 7.32/bag shall be considered as per practice of filling of average 37.5 Kg paddy in a bag of 50 Kg capacity. In case, State Govt fills more than 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg jute bag, the actual number of old bags filled with paddy required for 1 quintal of CMR (after applying relevant OTR) shall be considered. For example, if State Govt actually fills 40 Kg paddy in 50 Kg capacity jute bags, the actual number of old bags considered shall be 1.73 bags for Raw-rice and 1.68 bags for parboiled rice after applying OTR of 0.67 and 0.68 respectively.

e) In case, State Govt fills 37.5 Kg paddy or lesser than 37.5 kg paddy in a capacity of 50 Kg Jute bag, reimbursement w.r.t 1 quintal of CMR (considering OTR as 0.67) shall be considered for cost of 2 new bags & usage charges will be admissible for 1.98 old jute bags as per standard practice of filling average 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg bag.

f) Provisions of GFR of 2005/2017 should be followed by States/FCI while arranging bags for packaging of procured paddy as per existing guidelines.

g) Further, the competent authority of State Agency/Govt should also certify at the time of subsidy claim and settlement of claim that "the applicable terms and condition of usage charges which are modified from time to time as per DFPD order/letter for usage charges has been duly compiled by State Agency/Govt".

3. These instructions shall remain in force for KMS 2018-19 onwards.

4. This issues with the approval of competent authority.

Encl: As Above.

Yours faithfully,
13.12.2018
(Inderdeep Kandawal)
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

Copy To:
1. The Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi.
2. PPS to JS(P & FCI).
3. PS to Dir. (Py III)
4. PS to Dir (FC A/cs).
5. PS to Dir (Finance).
6. PI Cell, DFPD.

Annexure-I

Procurement Season: KMS................

Quantity of paddy procured (1)	No. of new bags procured (2)	Actual cost of bags procured (3)	No. of new bags used for CMR (4)	No. of new bags that remained unused. (5)	No. of Old bags in stock		No. of old bags used in the current season (7)	No. of old bags that remained unused (8)	Actual cost of unused bags (9)
					Carried over from previous season (6a)	Procured for the current season ** (6b)			

Sd/-

Signed by competent authority of State Govt/Agency and Chartered Accountant

**** Usage Charges shall be applicable for only 6b.**

परिशिष्ट-7

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल— rcs coop@nic in

क्रमांक / विप. / 104—6E / 2020 / 1578 नवा रायपुर, दिनांक 18 / 06 / 2020

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
   छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर (छ.ग.)
2. प्रबंध संचालक,
   छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्या. रायपुर (छ.ग.)

विषय :— **खरीफ विपणन वर्ष 2019—20 तथा वर्ष 2020—21 हेतु पुराने बारदानों के दर निर्धारण के संबंध में।**

संदर्भ :—(1) छ0ग0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 408 / 2019 / 29 1 / खाद्य / 609 अटल नगर, दिनांक 11 मार्च, 2019.

(2) छ0ग0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक / एफ 4- 14 / 2020 / 29 1 नवा रायपुर, दिनांक 11 मई 2020.

——000——

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। भारत सरकार की विद्यमान बारदाना नीति के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आधे नए एवं आधे पुराने बारदानों में की जाती है, इस हेतु खाद्य विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को यह निर्देशित किया जा चुका है कि पी.डी. एस. दुकान में खाद्यान्न / राशन वितरण के पश्चात् पुराने जूट बारदानों का विक्रय न किया जाये। उक्त पत्र के कण्डिका 09 अनुसार धान खरीदी के लिए उचित मूल्य दुकानों आदि से पूर्व खरीफ वर्षो के पुराने बारदानों का मूल्य निर्धारण करने हेतु निर्देश के परिपेक्ष्य में सम्पन्न बैठक दिनांक 06 / 06 / 2020 को छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ, छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम से विचार विमर्श उपरांत पी.डी.एस. के अंतर्गत राशन दुकानों में उपलब्ध खाद्यान्न के जूट बारदानों का उपयोग धान खरीदी में करने हेतु पुराने जूट बारदानों का मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2019—20 के लिए राशि रू. 14.00 प्रति नग एवं खरीफ विपणन वर्ष 2020—21 में धान खरीदी हेतु राशि रू. 15.00 प्रति नग निर्धारण किया जाता है।

उक्त संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि राशन दुकान से खरीदे जा रहे जूट बारदानों में कटे—फटे, फंगस युक्त छेदवाले या अन्य कोई अमानक किस्म के न हो। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जावे कि पी.डी.एस. के उक्त बारदानों के अमानक न होने बाबत् सत्यापन की समुचित व्यवस्था कर ली गई है।

(हिमशिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पंससं / विपणन / 2020 / 928

पृ.क्रमांक / विप. / 104-6E / 2020 / 1578 नवा रायपुर, दिनांक 18/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इन्द्रावती भवन को भेजकर लेख है कि कृपया आपके स्तर से जिला खाद्य नियंत्रक / जिला खाद्य अधिकारियों को उक्ताशय से अवगत कराने का कष्ट करेंगे।
4. कलेक्टर (समस्त) .... छ0ग0।
5. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, (समस्त) .... छ0ग0।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त) छ0ग0 को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

उपार्जन

पसरां / विपणन / 2020 / 929

परिशिष्ट-(8)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 4-14/2020/29-1 नवा रायपुर, 11 मई, 2020

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त,**
छत्तीसगढ़ शासन

2. **समस्त कलेक्टर,**
छत्तीसगढ़ शासन

3. **आयुक्त सह संचालक,**
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, नवा रायपुर

4. **पंजीयक,**
सहकारी संस्थाएं
नवा रायपुर

5. **प्रबंध संचालक,**
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विप. संघ मर्या.
नवा रायपुर

6. **प्रबंध संचालक,**
अपैक्स बैंक
नवा रायपुर

विषयः– आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान खरीदी हेतु पुराने बारदाने की व्यवस्था के लिए पीडीएस के बारदाने एकत्रित किये जाने बाबत् ।

भारत सरकार की विद्यमान बारदाना नीति के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आधे नए एवं आधे पुराने बारदानों में की जानी होती है । गत खरीफ विपणन वर्षों में पुराने बारदाने की व्यवस्था में आई कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान खरीदी हेतु पुराने बारदाने की व्यवस्था हेतु अभी से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है । उल्लेखनीय है कि राशन दुकानों में प्रतिमाह राशन के वितरण के पश्चात पीडीएस के पुराने बारदाने दुकान में ही शेष रह जाते हैं, आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में पुराने बारदानों की व्यवस्था के लिए पीडीएस के बचत बारदानों को माह मई, 2020 से ही एकत्र किये जाने की आवश्यकता है । पीडीएस बारदाना एकत्रित, संग्रहित, सुरक्षित रखरखाव एवं वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की धान खरीदी हेतु एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) की होगी ।

आगामी खरीफ वर्ष 2020–21 में पीडीएस बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार प्रारंभिक कार्यवाहियां सुनिश्चित की जावे :–

1. जिले में खरीफ वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर अनुमानित धान उपार्जन के आधार पर पुराने बारदानों की आवश्यकता का आकलन कर लिया जावे ।
2. राशन दुकानों में पूर्व में भंडारित किये गये खाद्यान्न एवं आगामी समय में भण्डारित होने वाले खाद्यान्न का जूट बारदाना राशन वितरण के पश्चात राशन दुकानदारों द्वारा विक्रय न किया जावे । उक्त बारदानों को यथासंभव राशन दुकान में ही सुरक्षित रूप से संग्रहित कर रखा जावे ।
3. ऐसी प्राथमिक सहकारी समितियां जो धान खरीदी करती है एवं राशन दुकान भी संचालित करती है, उनके द्वारा राशन वितरण के पश्चात शेष बारदाने समिति स्तर पर ही सुरक्षित रखा जावे ।

4. जिले में राशन दुकान विभिन्न संस्थाओ जैसे – ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह उपभोक्ता भंडार आदि के द्वारा संचालित किये जाते है। ऐसे राशन दुकानों के बारदानो को धान खरीदी हेतु निकटस्थ समिति को प्रदाय किया जाना होगा, इसके लिए समिति से संलग्न राशन दुकानों की मैपिंग खरीफ वर्ष 2019–20 में की गई थी । किसी भी परिस्थिति में राशन दुकानों में खाद्यान्न वितरण पश्चात शेष पुराने जूट बोरों का विक्रय दुकानों द्वारा नही किया जाएगा । जिला स्तर इन निर्देशों का कियान्वयन कलेक्टर के मार्गदर्शन में DRCS/ARCS खाद्य अधिकारी तथा डी.एम.ओ. द्वारा सुनिश्चित किया जावे ।

5. यथासंभव पुराने बोरो का भंडारण समिति स्तर पर सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, चूंकि इनका अंततः उपयोग समिति स्तर पर ही होना है। किंतु मार्कफेड द्वारा भी आवश्यकतानुसार पुराने बोरो के संग्रहण/ एकत्रीकरण हेतु उपयुक्त स्थानों पर बारदाना संग्रहण केन्द्र की स्थापना की जावे, जहां से पुराने बोरे खरीदी केन्द्रों को प्रदाय किए जाएंगे ।

6. राशन दुकानों को जारी प्रतिमाह राशन आबंटन को ध्यान में रखते हुए राशन वितरण के पश्चात बचत बारदानों का आकलन कर लिया जावे । बचत बारदानों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य दुकानों में स्थान की उपलब्धता बनाये रखने हेतु बारदानों का समयानुसार उठाव कराकर बारदाना संग्रहण केन्द्रों में/समितियों में (स्थान की उपलब्धता अनुसार) भण्डारण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

7. संग्रहण केन्द्रों/समिति में पीडीएस के एकत्रित पुराने बारदानों के सुरक्षित रखरखाव हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।

8. मार्कफेड द्वारा पीडीएस के बारदानों की प्राप्ति, वितरण, भुगतान इत्यादि के संबंध में सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार प्रावधान एन.आई.सी. के सहयोग से किया जावे ।

9. खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान खरीदी के लिए उचित मूल्य दुकानों आदि से पूर्व खरीफ वर्षों के पुराने बारदानों का मूल्य पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा निर्धारित की जावे ।

10. राशन दुकानों से प्राप्त बोरों पर केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क प्रदाय किया जावेगा ।

11. मार्कफेड द्वारा पीडीएस बारदानों की व्यवस्था के संबंध में समुचित दिशा–निर्देश प्रसारित किया जावे ।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

पृ. कमांक एफ 4-14/2020/29-1 नवा रायपुर, दिनांक 11 मई, 2020

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर ।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, नवा रायपुर ।
5. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर ।
6. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
7. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी., मंत्रालय, नवा रायपुर, रायपुर ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट-(9)

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड–ब, तृतीय तल, नया रायपुर फोन एवं फैक्स 0771–2510274
Email-clm.cg@nic.in

रायपुर दिनांक 08..2017

क्र. /विमा/धान खरीदी/2017

प्रति,

प्रबंध संचालक,
~~राज्य सहकारी विपणन संघ~~
छत्तीसगढ़ रायपुर।

विषयः–धान खरीदी तथा संग्रहण केन्द्रों के बांट–माप के ऑनलाइन सत्यापन के संबंध में।

संदर्भः–सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा दिनांक 11.08.2017 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देश।

उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017–18 के संदर्भ में धान उपार्जन/संग्रहण केन्द्रों में उपयोग में लाए जाने वाले बांट–माप तथा तौल यंत्रों के सत्यापन के संदर्भ में कुछ दिशा–निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है:–

01. प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों पर उपयोग में लाये जा रहे बांट–माप के सत्यापन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएंगे, जिसके लिए विभागीय वेबसाइट www.legalmetrology.cg.nic.in में व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है, इसके लिए यह आवश्यक है कि (1) प्रत्येक उपार्जन/संग्रहण केन्द्रों द्वारा बांट–माप के सत्यापन का निर्धारित शुल्क ई–चालान के माध्यम से खाद्य विभाग के अंतर्गत नापतौल के विभागीय शीर्ष 1475–00–106–0000 में जमा करनी होगी। (2) ऑनलाइन आवेदन के पूर्व केन्द्र प्रभारी द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक से संपर्क कर पिछले सत्यापन की तिथि एवं अधिकृत मोबाइल नंबर की प्रविष्टि backlog entry में करवाना होगा। जिससे आवेदक को उक्त मोबाइल नंबर पर User Id & Password प्राप्त हो सकेगा, जिसके आधार पर आवेदन की प्रविष्टि की जा सकेगी। (3)आवेदन के पश्चात् निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा उपकरणों के भौतिक सत्यापन की निर्धारित तिथि को केन्द्र प्रभारी निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहकर अपने बांट–माप का सत्यापन संपादित करवाएंगे, इस प्रक्रिया के लिए 03 दिवस की समयावधि निर्धारित है। (4) निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के 48 घंटे के भीतर ~~बांट–माप के सत्यापन का~~ प्रमाणपत्र संबंधित सहायक नियंत्रक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये जायेगें, जिसे केन्द्र प्रभारी डाउनलोड कर सकेंगे।

02. प्रत्येक खरीदी केन्द्रों पर 20 किलोग्राम वजन का एक सत्यापित टेस्ट वेट रखा जावे, ताकि तौल प्रक्रिया की आकस्मिक जांच सुनिश्चित की जा सके।

03. यह आवश्यक है कि उपार्जन केन्द्रों पर उपयोग में लाये जा रहे बांट एवं तौल यंत्र, विधिक मापविज्ञान निरीक्षक, के द्वारा विधिमान्य रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित

क्र. ...... सचिव, खाद्य, ना.आ. एवं उ.सं. विभाग दिनांक 17.08.2017

Pl. c/k

JS(GS)
SS(MS)

D/ Arvind/Letter WM/ 2616

की कालावधि में कम से कम एक बार कराया जाना आवश्यक होता है, जबकि स्वचालित तौल उपकरणों जैसे– इलेक्ट्रानिक वेईंग मशीन एवं धर्मकांटे (वेब्रिज) के सत्यापन की कालावधि 12 माह निर्धारित है। अतः ऐसे उपकरणों का सत्यापन वर्ष में एक बार कराया जाना अनिवार्य होता है।

हों। यहां पर अवगत कराया जाना उचित होगा कि बांट माप का सत्यापन 24 माह

04. यह भी देखना होगा कि लगातार उपयोग में लाए जाने के कारण अनेक बांट माप एवं तौल यंत्रों की क्षमता प्रमाणिक स्थिति में नहीं रह पाती है, अतः ऐसे उपकरणों को उपयोग के पूर्व विभाग के निरीक्षकों के माध्यम से पुनः सत्यापन एवं प्रमाणित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

05. उपार्जन केन्द्र पर निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी किये गये सत्यापन प्रमाणपत्र, सहज एवं दृष्टिगोचर स्थान पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जावें, जिन्हें विक्रेता किसान आसानी से देखकर उपकरणों की सत्यता को लेकर सुनिश्चित हो सकें।

06. संग्रहण केन्द्रों में केन्द्र प्रभारी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कर्मचारियों के साथ समिति से आने वाले धान का समय–समय पर रेंडम तौल निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के साथ किया जावे, ताकि तौल प्रकिया में पारदर्शिता लक्षित हो।

उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का उपार्जन तिथि के पूर्व प्रभावी रूप से अमल करवाना सुनिश्चित करेंगे।

/ नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नया रायपुर

रायपुर दिनांक 14/8/2017

16 AUG 2017 पृ.क्र. 1765 /विमा/धान खरीदी/2017

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर दिनांक 11.08.2017 को उपार्जन की कार्य योजना की बैठक में दिये गये निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ।
02. समस्त जिला विपणन अधिकारी, राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
04. समस्त निरीक्षक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ वे धान खरीदी के पूर्व संबंधित उपार्जन केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों के समस्त बांट माप का सत्यापन करा सुनिश्चित करें।

नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नया रायपुर

D/ Arvind/Letter WM 2617

परिशिष्ट-(10)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
//मंत्रालय//
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

क्रमांक एफ 4–15/2018/29–1/पार्ट (VII)   अटल नगर, दिनांक 16/08/2019

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय: खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में धान उपार्जन केन्द्रों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के नियोजन के संबंध में।

संदर्भ: (1) इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 4–21/2012/29–1(1)/खाद्य/2742 दिनांक 23.10.2017

(2) आपका ज्ञापन क्रमांक लेखा/विप./MKTG/18–19/33/1053 दिनांक 31.05. 2019 एवं क्रमांक/स्था.वि./एफ 16–02/1450/2019 दिनांक 25.06.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापनों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित ज्ञापन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 हेतु समिति स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाने हेतु समय सीमा का निर्धारण करने एवं खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 के लिए बाह्य एजेंसी से डाटा एन्ट्री ऑपरेटन नियोजन किये जाने के संबंध में, शासन स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

2/ खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 की धान खरीदी नीति दिनांक 30.08.2018 की कंडिका 10.2.3 में उल्लेखित प्रावधान के संबंध में, विभागीय ज्ञापन दिनांक 14.09.2018 में उल्लेखित अनुसार राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

"खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में सहकारी समितियों में धान उपार्जन कार्य के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का नियोजन बाह्य एजेंसियो के माध्यम से किये जाने के निर्णय को एक वर्ष के लिए स्थगित रखते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटरों का नियोजन समितियों द्वारा किया जाए एवं इस पर आने वाला व्ययभार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को हानि प्रतिपूर्ति मद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदाय किया जाए।"

...2

3/ अतः उक्त संदर्भित ज्ञापन क्रमांक (2) के परिप्रेक्ष्य में, आदेशानुसार प्रकरण में पूर्व की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को 9 माह हेतु कार्य पर रखा जावे तथा खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 हेतु भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था बनाए जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

K.K. Gautam 16/8/19
(के.के.गौतम)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

पृष्ठा.क. एफ 4–15/2018/29–1/पार्ट (VII) अटल नगर, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संर.संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।

K.K. Gautam 16/8/19
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

परिशिष्ट-(11)

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में अनुमानित धान उपार्जन एवं निराकरण की कार्ययोजना

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	अनुमानित धान उपार्जन की मात्रा	मिलर द्वारा समिति से सीधे उठाव			संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण		
			जिले के मिलर	अन्य जिले के मिलर		जिले के संग्रहण केन्द्र में	अन्य जिले के संग्रहण केद्र में	
1	2		4	5	6	7	8	9
1	जगदलपुर,बस्तर	125600	85600			40000		
2	बीजापुर	62700	35100	बस्तर	10000	0	बस्तर	17600
3	दन्तेवाड़ा	10500	4200			0	बस्तर	6300
4	कांकेर	293200	180000			81000	धमतरी	32200
5	कोण्डागांव	120400	80000			40400		
6	नारायणपुर	11500	6500			0	कोण्डागांव	5000
7	सुकमा	33500	19000			14500		
8	बिलासपुर	446900	386000			60900		
9	गौ.पे.म.	61000	39000			22000		
10	जांजगीर–चांपा	837650	463000			374650		
11	कोरबा	120400	120400			0		
12	मुंगेली	345500	150000	बिलासपुर	20000	50000	बिलासपुर	66700
							रायपुर	58800
13	रायगढ़	513200	296000	जशपुर	17200	200000		
14	बालोद	539300	210000	धमतरी	100000	220000	धमतरी	9300
15	बेमेतरा	555000	140000	दुर्ग	100000	115000	दुर्ग	200000
16	दुर्ग	397900	382000			15900		
17	कवर्धा	314000	164000	दुर्ग	15000	90000	रायपुर	45000
18	राजनांदगांव	706800	328000	दुर्ग	70000	283800	धमतरी	25000
19	बलौदाबाजार	685900	235000	रायपुर	70000	80900	रायपुर	300000
20	धमतरी	439800	439800			0		
21	गरियाबंद	324500	112000	रायपुर	50000	162500		
22	महासमुंद	774900	428000	धमतरी	30000	256900	धमतरी	60000
23	रायपुर	528800	528800			0		
24	बलरामपुर	136000	112000			24000		
25	जशपुर	85800	85800			0		
26	कोरिया	94250	94250			0		
27	अम्बिकापुर(सरगुजा)	157000	150000	जशपुर	7000	0		
28	सूरजपुर	178000	66000			109500	कोरिया	2500
	कुल योग	8900000	5340450		489200	2241950		828400

28/11/20
महाप्रबंधक (विप.)

परिशिष्ट-(12)

File No.192(14)/2018-FCA/cs

No. 192(14)/2018-FC A/cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
Department of Food and PD

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 06/05/2019

To,

1. The Principal Secretary/Secretary
   All State Governments/UTs
2. The CMD, FCI, New Delhi.

Subject : Principles on transportation charges of paddy/CMR and wheat from KMS 2019-20 onwards in DCP (including Central Pool) & Non-DCP States regarding.

Sir,

With a view to simplifying the existing principles on transportation charges for paddy, CMR and wheat in the DCP(including Central Pool) and non-DCP States by harmonising them with the practical challenges faced by the agencies carrying out these operations, in supersession of the existing principles for the fixation of transportation charges for finalization of economic cost of paddy /Rice and Wheat, the following guidelines are issued to come into effect from KMS 2019-20 onwards:

I. There shall be a State Level Committee (SLC) with the State Food Secretary concerned as the Chairperson and ED, FCI and GM/FCI in-charge of the state concerned, two District Collectors from any of the procuring districts, and an officer from State Transport Department not below the rank of Deputy Secretary level officer as members.

II. For every state, a Schedule of Rates (SoR) for transportation charges shall be finalized by the SLC based on market survey. The SoR shall remain in force for a maximum of two years.

III. Competitive bidding, preferably through e-tendering, is to be done for finalizing transportation rates at the district level.

IV. The SLC shall examine the transportation rates finalised by the districts with reference to the SoR and decide the acceptability of the rates, taking into account the provisions of GFR. In the cases where the rates accepted show a major deviation from the SoR, the reasons for acceptance or rejection must be recorded in the minutes of the meeting of the SLC.

V. In case, there is a difference of opinion between State and FCI representatives in the SLC on the admissibility of the transportation charges for a district or more than one district, the matter shall be referred to CMD, FCI for decision, which must be communicated within two weeks of receiving the reference; and the decision of CMD, FCI shall be final.

VI. All the districts across the states shall follow uniform distance slabs: from 0 upto 8 kms, from 8 upto 20 kms, from 20 upto 40 kms, from 40 upto 80 kms and above 80 kms

क्रमांक.....1267.....
विशेष सचिव /खाद्य / 20

आवक क्रमांक.....617.....
संयुक्त सचिव / खाद्य / 20

VII. The SLC shall finalise the standard bid document for the fixation of transportation charges, to be followed by all the districts in the State.

VIII. FCI should strive to ensure that the bidding document for the fixation of transportation charges is standardised across the States; and should also undertake a review of the state-wise transportation charges at the end of every marketing season.

IX. The principles mentioned above shall be applicable to the transportation of paddy from procurement centres to the rice mills, and of CMR from rice mills to the storage points, and of wheat from procurement centres to the storage points at the acquisition stage. At the distribution stage, these rates will be applicable for transporting CMR and wheat from storage points to the designated depots of the State only.

2. This issues with the approval of Hon'ble Minister for CAF&PD.

Yours faithfully,

Signature Not Verified
Digitally signed by V.C. SUDEESH
Date: 2019.05.06 16:24:22 IST
Reason: Approved

(V.C. Sudeesh)
Director
Tel. No. 011-23382709

Copy to:
1. PPS to Secretary, FPD
2. PPS to AS&FA, FPD
3. PPS to Pr. Advisor(Cost)
4. PPS to JS(P&FCI)
5. PS to Director (FC Accounts)/Director(Finance & Budget)/ Director(Cost)/ Director(FCI)

परिशिष्ट - (13)

राज्य के सीमावर्ती जिलों के खरीदी केंद्रों की सूची

क्र	जिला का नाम	उपार्जन केंद्र का नाम
1	बिलासपुर	लरकेनी
2		लालपुर
3		सिवनी
4	रायगढ़	जामगांव
5		लारा
6		अमलीपाली
7		रेंगालपाली
8		डुलोपाली
9		सरिया
10		धौराभांठा
11		झिकीपाली
12		बड़े नावापारा
13		लुकापारा
14		साकरा
15		लिबरा
16		लोईग
17	राजनांदगांव	साल्हेवारा
18		कल्लू बंजारी
19		जयसिंह टोला
20		चिल्हाटी
21		नचनिया
22		रामपुर
23		बकरकट्टा
24		बोरतलाव
25		सड़क छिरछारी (खोमा)
26	गरियाबंद	झाखरपारा
27		ढोर्रा
28		रसेला
29		तेतलखुटी
30		दुल्ला
31		देवभोग
32		उरमाल
33	महासमुंद	अकोरी
34		सिरबोडा
35		बलौदा
36		पटपरपाली
37		खेमड़ा
38		गढफुलझर
39		चिवराकुटा
40		देवरी
41		नर्रा
42		बेल्डीह
43		जेराभरण
44		सल्डीह
45		परसवानी
46		बुंदेली
47		बाघामुड़ा

JS Food

48	महासमुंद	कसेकेरा
49		कछारडीह
50		मुनगाशेर
51		कोमाखान
52		सुखीपाली
53		टोसगांव
54		जंगलबेड़ा
55		सेमलिया
56	बलरामपुर	कामेश्वरनगर
57		चान्दो
58		भंवरमाल
59		रामचन्द्रपुर
60		बसंतपुर
61		वाड्रफनगर
62	जशपुर	गम्हरीया
63		कोनपारा
64		तपकरा
65		दुलदुला
66	कोरिया	चैनपुर
67		माडीसरई
68	सुरजपुर	नवगई

JS Ford

परिशिष्ट-(14)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–8/खाद्य/2014/29–2/2434 नया रायपुर,04-07-2016

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
रायपुर

विषयः– **खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक कार्यों के संबंध में ।**

संदर्भः– प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर का पत्र क्रमांक/विप./7189/2016 दिनांक 04.03.2016

कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । धान खरीदी कार्य में बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के तथा समन्वय एवं पर्यवेक्षण कार्य के रूप में सुपरवाइजिंग कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) के प्रशासनिक कार्यों का निर्धारण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं परिशिष्ट "ब" अनुसार करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(जी. एस. सिकरवार)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

पृ.एफ 4–8/खाद्य/2014/29–2/2435 नया रायपुर,04-07-2016

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नया रायपुर ।
3. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, नया रायपुर ।
4. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक, रायपुर ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हेतु प्रशासनिक कार्य

1. विपणन संघ द्वारा समितियों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि का ता तारीख भुगतान समितियों को कराया जावे ।
2. विपणन संघ द्वारा भंडारण एवं सुरक्षा हेतु प्रदाय राशि को समितियों को समय पर उपलब्ध कराना तथा उक्त राशि का नियमानुसार समुचित उपयोग कराकर धान/बारदानों की सुरक्षा कराना। समितयों के स्तर पर किये गये व्यय के देयकों को समिति माडयूल में प्रविष्टि करना ।
3. उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन कार्यो का सतत् निरीक्षण कर धान खरीदी की सभी जानकारी जिला स्तर पर संग्रहित करना एवं निराकरण करना तथा पाक्षिक जानकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराना ।
4. उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य में उपार्जित धान के उठाव हेतु हमाल आदि की व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करना ।
5. उपार्जन केन्द्रों में धान के उठाव हेतु परिवहन में आने वाले कठिनाईयों का निराकरण कर जानकारी उपलब्ध कराना ।
6. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु विपणन संघ द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का सही तरीके से सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित कराना ।
7. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का ता तारीख ऑनलाईन मॉडयूल में ऍन्ट्री सुनिश्चित कराना ।
8. समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की समिति स्तर या संग्रहण केन्द्र स्तर पर किस्म विवाद को जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से समयावधि में निराकरण कराना ।
9. विपणन संघ द्वार धान उपार्जन हेतु समिति को प्रदाय बारदाना में यदि समिति स्तर पर फंगस युक्त (अमानक) बारदाना प्राप्त हो तो समिति के साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराते हुए उक्त बारदाने की सूचना जिला विपणन अधिकारी को देते हुए बारदाना की समयावधि में विपणन संघ को वापसी सुनिश्चित कराना ।
10. उपार्जन केन्द्रों में कृषकों से कय किये गये धान का समय – समय पर किस्मवार भौतिक सत्यापन कराना ।
11. कृषकों से कय किये गये धान का समय पर तौल हो एवं निर्धारित समयावधि में भुगतान की व्यवस्था कराना ।
12. समिति स्तर पर धान की खरीदी के आधार पर बारदानों की आवश्यकता का आकंलन करना तथा विपणन संघ को अवगत कराया जाना ।
13. समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में डनेज, तारपोलिन इत्यादि की व्यवस्था कराना ।
14. धान उपार्जन की पूर्णता उपरांत समितियों में शेष बारदानों की वापसी इस संबंध में राज्य शासन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित नियमानुसार वापसी सुनिश्चित कराना ।
15. धान उपार्जन एवं निराकरण उपरांत राज्य शासन/ विपणन संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विपणन संघ को प्रदाय किये गये स्कंध, प्राप्त राशि एवं बारदाना आदि संबंधित संव्यवहारों का मिलान पूर्ण कर संयुक्त हस्ताक्षरित मिलान पत्रक विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा ।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) हेतु प्रशासनिक कार्य

1. अपेक्स बैंक द्वारा धान खरीदी के पूर्व तैयारियों के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं संबद्ध समितियों /उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी से संबंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थायें, जिसके संबंध में राज्य शासन/ विपणन संघ द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जावे एवं तदाशय का प्रमाण पत्र विपणन संघ को उपलब्ध कराया जावे ।
2. प्रदेश के समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को विपणन संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के भुगतान का बैंकवार एवं समितिवार जानकारी उपलब्ध कराना ।
3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को विपणन संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का समितियों में वास्तविक धान खरीदी के अनुपात में राशि का अंतरण ता–तारीख कराया जाना सुनिश्चित करें तथा मासिक भुगतान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।
4. विपणन संघ द्वारा भंडारण एवं सुरक्षा हेतु प्रदत्त राशि का शासकीय नियमानुसार अथवा स्वीकृत निविदा आधार पर समुचित उपयोग सुनिश्चित कराना तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से उक्त कार्य का प्रमाणीकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
5. समर्थन मूल्य में धान उपार्जन कार्यो की सतत् निरीक्षण हेतु टीम गठित कर उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की सतत मानिटरिंग कराकर पाक्षिक/मासिक जानकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराना ।
6. धान उपार्जन/निराकरण के संबंध में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से समन्वय कर समितियों से संबंधित समस्त जानकारी निर्धारित प्रारूप में दैनिक आधार पर संकलित कर उपलब्ध कराना ।
7. समिति स्तर पर आने वाली समस्याओं जैसे – उपार्जन केन्द्रों /समितियों में धान के त्वरित उठाव हेतु परिवहन व्यवस्था की मानिटरिंग करना एवं समिति के बफर लिमिट से अधिक धान का परिवहन हेतु शासन /विपणन संघ द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराना ।
8. धान उपार्जन हेतु समितियों मे आवश्यक बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सतत मानिटरिंग कर समितियों को प्रदत्त बारदानों का उचित रखरखाव एवं धान की सुरक्षा हेतु आवश्यक डनेज एवं कैप कव्हर आदि की व्यवस्था गठित टीम के माध्यम से सुनिश्चित कराना ।
9. राज्य शासन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित मॉडयूल अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं समितियों में धान उपार्जन एवं राशि प्रदाय से संबंधित संव्यवहार/जानकारी की ऑनलाईन मॉडयूल में प्रतिदिन एन्ट्री सुनिश्चित कराना तथा मासिक प्रतिवेदन विपणन संघ को प्रस्तुत करना ।
10. अपेक्स बैंक द्वारा टीम गठित कर धान उपार्जन के प्रारंभ से समिति स्तर पर अंतिम रूप से प्रतिवेदित उपलब्ध स्कंध का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराना, जिसमें प्रारंभिक खरीदी के प्रथम एवं अंतिम प्रतिवेदित स्कंध का सत्यापन अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त निराकरण अवधि में न्यूनतम मासिक आधार पर सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा । किये गये सत्यापन का प्रतिवेदन की प्रति विपणन संघ को उपलब्ध

कराना होगा । यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो विशेष प्रतिवेदन जिला कलेक्टर, विपणन संघ एवं राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना होगा ।

11. धान उपार्जन उपरांत समितियों में शेष बारदानों को विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय में वापसी की कार्यवाही गठित टीम एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नियंत्रण एवं समन्वय में राज्य शासन /विपणन संघ के नियमानुसार वापसी सुनिश्चित कराना ।

12. अपेक्स बैंक द्वारा समितियों में उपार्जित धान के निराकरण उपरांत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं समितियो द्वारा विपणन संघ को प्रदाय किये गये स्कंध, प्राप्त राशि एवं बारदाना आदि से संबधित सव्यवहारों का मिलान राज्य शासन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित समयावधि एवं प्रारूप में कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराकर संयुक्त हस्ताक्षरित मिलान पत्रक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा ।

परिशिष्ट-(15)

खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 1 प्रतिशत से अधिक कमी वाले उपार्जन केन्द्रो की सूचि

क्रमांक	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	कुल प्राप्त धान (क्विंटल में)	कुल कमी (क्विंटल में)	कुल कमी का प्रतिशत	SALB%
1	बीजापुर	आवापल्ली	आवापल्ली	97450.6	1259.05	1.29	1-2%
2	बीजापुर	आवापल्ली	उसूर	22177.2	468.51	2.11	2-3%
3	कांकेर	पखांजूर	पी व्ही 15	21415.4	1272.67	5.94	5-6%
4	कांकेर	ताडोकी	ताडोकी	44212.8	1252.06	2.83	2-3%
5	कांकेर	बांदे	पी.व्ही. 92	57514.8	947.35	1.65	1-2%
6	कांकेर	पखांजूर	पखांजूर	10172.43	391.34	3.85	3-4%
7	कांकेर	पखांजूर	पी व्ही 22	20006.66	365	1.82	1-2%
8	कांकेर	पखांजूर	ऐशबेडा	21540.56	315.31	1.46	1-2%
9	कांकेर	गोंडाहुर	पी व्ही 16	16479.8	281.83	1.71	1-2%
10	कांकेर	बारदा	पी व्ही 68	10236	219.92	2.15	2-3%
11	सुकमा	छिन्दगढ	छिन्दगढ	68623.6	1951.6	2.84	2-3%
12	सुकमा	कोडरीपाल	कोडरीपाल	38001.4	1138.31	3.00	2-3%
13	सुकमा	गादीरास	गादीरास	25249.4	729.4	2.89	2-3%
14	सुकमा	दोरनापाल	दोरनापाल	13182.2	388.26	2.95	2-3%
15	सुकमा	मुडपल्ली	मुडपल्ली	10327.8	360.55	3.49	3-4%
16	बिलासपुर	बहतरा	बहतरा	47057.6	1677.2	3.56	3-4%
17	बिलासपुर	धुमा	धुमा	32761.4	797.74	2.43	2-3%
18	बिलासपुर	मल्हार	मल्हार	49054.8	737.82	1.50	1-2%
19	मुंगेली	सिगांरपुर	सिगांपुर	60757.4	4687.51	7.72	6-10%
20	मुंगेली	डोगरिया	डोगरिया	57578	3822.41	6.64	6-10%
21	मुंगेली	सिलदहा	पत्थरगढी	52135	3263.27	6.26	6-10%
22	मुंगेली	छटन	छटन	45190.8	3550.36	7.86	6-10%
23	मुंगेली	अखरार	डिडौरी	50672.4	2864.53	5.65	5-6%
24	मुंगेली	पीपर लोड	धुटेरा	27237.2	3290.18	12.08	10-15%
25	मुंगेली	फंदवानी	झगरहटा	20090.4	2578.75	12.84	10-15%
26	मुंगेली	बुंदेली	बुंदेली	58039.4	2444.81	4.21	4-5%
27	मुंगेली	गुरवाइन डबरी	गुरवाइन डबरी	60749.2	2366.35	3.90	3-4%
28	मुंगेली	मनोहरपुर	तेलीमोहतरा	35239.4	2177.59	6.18	6-10%
29	मुंगेली	नवागांव	नवागांव	50943.4	1356.34	2.66	2-3%
30	मुंगेली	तरवरपुर	तरवरपुर	10404.4	1247.3	11.99	10-15%
31	मुंगेली	तरवरपुर	मदनपुर	40754	1250.63	3.07	3-4%
32	मुंगेली	फुलझर	फुल्झर	65986.4	1149.82	1.74	1-2%
33	मुंगेली	सिंघनपुरी	सिंघनपुरी	41521.2	1140.99	2.75	2-3%
34	मुंगेली	पंडरभाठा	पंडरभाठा	55809	1134.3	2.03	2-3%
35	मुंगेली	मनोहरपुर	मनोहरपुर	48724.4	1100.12	2.26	2-3%
36	मुंगेली	कोदवा	कोदवा	40724	1098.52	2.70	2-3%
37	मुंगेली	डोगरिया	खुडिया	44502	1176.49	2.64	2-3%
38	मुंगेली	केतेली	नवगाँव (घठेरा)	24658.4	1049.62	4.26	4-5%
39	मुंगेली	खपरी कला	खपरी कला	34457.6	1039.76	3.02	3-4%
40	मुंगेली	निरजाम	निरजाम	61137.2	1011.08	1.65	1-2%
41	मुंगेली	सिलदहा	सिलदहा	42286.4	917.48	2.17	2-3%
42	मुंगेली	चंदली	चंदली	28586.4	812	2.84	2-3%
43	मुंगेली	सरगाँव	सांवा	34093.2	883.77	2.59	2-3%
44	मुंगेली	बोडतरा	बोडतरा	51393.6	716.31	1.39	1-2%
45	मुंगेली	लौदा	गाईद्री	24744	657.7	2.66	2-3%
46	मुंगेली	दाउकापा	दाउकापा	43100.4	632.66	1.47	1-2%
47	मुंगेली	वेंकटनवागांव	विचारपुर	43102.8	598.63	1.39	1-2%
48	मुंगेली	केतेली	केतेली	31492	483.04	1.53	1-2%
49	मुंगेली	चंदली	झाफल	25871.4	470.47	1.82	1-2%
50	मुंगेली	कोदवा	धरमपुरा	34457.6	467.62	1.36	1-2%
51	मुंगेली	टेढ़ाधौरा	पौनी	40880.8	523.61	1.28	1-2%
52	मुंगेली	अखरार	अखरार	37759.2	433.43	1.15	1-2%
53	मुंगेली	फंदवानी	फंदवानी	35646	384.29	1.08	1-2%
54	मुंगेली	जेवरा	कुकुसदा	10951.2	185.04	1.69	1-2%

क्रमांक	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	कुल प्राप्त धान (क्विंटल में)	कुल कमी (क्विंटल में)	कुल कमी का प्रतिशत	SALB%
55	मुंगेली	लौदा	केवटाडीह	12806	136.26	1.06	1-2%
56	मुंगेली	पीपर लोड	पीपरलोड	23096	291.87	1.26	1-2%
57	मुंगेली	भठगाँव	हथनीकला	37492	385.25	1.03	1-2%
58	मुंगेली	घरदेयी	पडियाइन	50791.8	586.94	1.16	1-2%
59	मुंगेली	बदरा	बदरा	25577.6	418.5	1.64	1-2%
60	मुंगेली	बदरा	सकेत	31632.4	794.39	2.51	2-3%
61	मुंगेली	बदरा	ककेड़ी	26054.4	515.53	1.98	1-2%
62	रायगढ़	उलखर	बरदुला	41332.4	7951.28	19.24	16-20%
63	रायगढ़	गाताडिह	जशपुर	49732.2	5857.49	11.78	10-15%
64	रायगढ़	उलखर	उलखर	36983.6	3086.05	8.34	6-10%
65	रायगढ़	जैमुरा	जैमुरा	44680	2144.77	4.80	4-5%
66	रायगढ़	जैमुरा	बसनाझर	28824	1512.37	5.25	5-6%
67	बालोद	सोरर	सुर्रा	15332.8	181.45	1.18	1-2%
68	बेमेतरा	झाल (बेमेतरा)	झाल (बेमेतरा)	72529.6	778.45	1.07	1-2%
69	बेमेतरा	दाढ़ी	उमरिया	64567.6	725.93	1.12	1-2%
70	बेमेतरा	कन्हेरा	सैगोना	62213.6	679.75	1.09	1-2%
71	बेमेतरा	मारो	मारो	69068.4	960.53	1.39	1-2%
72	कवर्धा	किशुनगढ़	किशुनगढ़	54304.8	2992.3	5.51	5-6%
73	कवर्धा	रूसे	कोलेगाँव	36913.6	2529.85	6.85	6-10%
74	कवर्धा	गैंदपुर	गैंदपुर	60342.8	1633.66	2.71	2-3%
75	कवर्धा	कुण्डा	सुकलीगोविंद	34782	2013.19	5.79	5-6%
76	कवर्धा	कुरुवा	कुरुवा	64725.2	1149.55	1.78	1-2%
77	कवर्धा	पोंनी	खैराझिटी	30047.4	1053.28	3.51	3-4%
78	कवर्धा	मोहगाँव	मोहगाँव (पंडरिया)	46658.8	986.89	2.12	2-3%
79	कवर्धा	झिरौनी	जिन्दा	44640.6	763.47	1.71	1-2%
80	कवर्धा	कुण्डा	कुआमालगी	47685.2	757.23	1.59	1-2%
81	कवर्धा	कोदवागोड़ान	सरईसेत	33143	711.43	2.15	2-3%
82	कवर्धा	कुम्ही	कुम्ही	19436.4	596.55	3.07	3-4%
83	कवर्धा	कोदवागोड़ान	कोदवागोड़ान	38693.6	618.5	1.60	1-2%
84	कवर्धा	रूसे	रूसे	30911.6	498.73	1.61	1-2%
85	कवर्धा	करपीगोडान	करपीगोडान	44086.8	594.27	1.35	1-2%
86	कवर्धा	कुम्ही	पेण्ड्रीकला	28838.4	763.06	2.65	2-3%
87	कवर्धा	झिरौनी	झिरौनी	26087.2	416.26	1.60	1-2%
88	कवर्धा	बाघामुड़ा	दुल्लापुर	31845.8	611.35	1.92	1-2%
89	कवर्धा	महली	बघर्रा	36918	400	1.08	1-2%
90	कवर्धा	सारंगपुर	सारंगपुर	23587.2	246.49	1.05	1-2%
91	कवर्धा	चिल्फी	समनापुर	36372.8	394.96	1.09	1-2%
92	राजनांदगांव	कुहीकला	जयसिंगटोला	76978	788.99	1.02	1-2%
93	राजनांदगांव	कल्लू बंजारी	कल्लू बंजारी	53530	802.06	1.50	1-2%
94	राजनांदगांव	साल्हेटोला	गहिराभेड़ी	42339.6	689.54	1.63	1-2%
95	राजनांदगांव	कौडीकसा	कौडीकसा	71114	746.91	1.05	1-2%
96	राजनांदगांव	घुमका	भैंसातरा	67852.2	1025.76	1.51	1-2%
97	राजनांदगांव	मानपुर	मानपुर	63205.2	892.95	1.41	1-2%
98	राजनांदगांव	औंधी	औधी	70540.6	782.47	1.11	1-2%
99	राजनांदगांव	साल्हेटोला	साल्हेटोला	26897.2	479.01	1.78	1-2%
100	राजनांदगांव	भर्रीटोला	भर्रीटोला	81458.4	1000.31	1.23	1-2%
101	राजनांदगांव	छुरिया	छुरिया	57481.6	639.55	1.11	1-2%
102	राजनांदगांव	सड़क छिरछारी (खोमा)	सड़क छिरछारी (खोमा)	33862	508.28	1.50	1-2%
103	राजनांदगांव	बोरतलाव	बोरतलाव	28870	365.96	1.27	1-2%
104	राजनांदगांव	रेगाकठेरा	रेंगाकठेरा	50640.4	529.74	1.05	1-2%
105	राजनांदगांव	औंधी	सीतागांव	21806.8	279.34	1.28	1-2%
106	राजनांदगांव	बढईटोला	बढईटोला	74548	1055.74	1.42	1-2%
107	राजनांदगांव	बकरकटटा	बकरकटटा	16557.6	180.08	1.09	1-2%
108	बलौदाबाजार	सलौनीकला	नगरदा	84164.8	7719.88	9.17	6-10%
109	बलौदाबाजार	थरगांव	खैरा	51355.6	2060.26	4.01	4-5%
110	बलौदाबाजार	थरगांव	थरगांव	46834.8	956.68	2.04	2-3%

क्रमांक	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	कुल प्राप्त धान (क्विंटल में)	कुल कमी (क्विंटल में)	कुल कमी का प्रतिशत	SALB%
111	बलौदाबाजार	टुण्डरी	टुण्डरी	51012	2420.96	4.75	4-5%
112	बलौदाबाजार	विश्रामपुर	ढेकुना	68813.6	918.02	1.33	1-2%
113	बलौदाबाजार	विश्रामपुर	तुलसी	45822.4	874.67	1.91	1-2%
114	बलौदाबाजार	पौंसरी	कामता	39014	592.15	1.52	1-2%
115	बलौदाबाजार	जांगडा	जांगडा	38859.2	938.25	2.41	2-3%
116	बलौदाबाजार	जांगडा	दावनबोड़	16858.4	200.44	1.19	1-2%
117	बलौदाबाजार	खिलौरा (हथबंद)	केशली	39954.8	1182.21	2.96	2-3%
118	बलौदाबाजार	खिलौरा (हथबंद)	संकरी	30385.6	684.01	2.25	2-3%
119	बलौदाबाजार	रावन	रावन	67468.8	1857.88	2.75	2-3%
120	बलौदाबाजार	शिकारी केशली	शिकारी केशली	49848.4	1054.73	2.12	2-3%
121	बलौदाबाजार	मोहरा	मोहरा	61208.8	1926.16	3.15	3-4%
122	बलौदाबाजार	सुहेला	सुहेला	31663.2	574.54	1.81	1-2%
123	बलौदाबाजार	सुहेला	खपराडीह	35888.4	1447.41	4.03	4-5%
124	बलौदाबाजार	सकलोर	भटभेरा	47098.4	1391.94	2.96	2-3%
125	बलौदाबाजार	सीतापार	सलौनी	43956	880.12	2.00	2-3%
126	बलौदाबाजार	कोनारी	कोनारी	22846.4	386.08	1.69	1-2%
127	बलौदाबाजार	सरसेनी	चुचरूंगपुर	9415.2	98.52	1.05	1-2%
128	बलौदाबाजार	छेरकापुर	कोसमंदा	32535.2	996.16	3.06	3-4%
129	बलौदाबाजार	रेंगाडीह	जारा	38842.8	761.39	1.96	1-2%
130	बलौदाबाजार	रेंगाडीह	रेगाडीह (घसिया भाठा)	47514	1202.12	2.53	2-3%
131	बलौदाबाजार	गाडाभाठा	गाडाभाठा	29409.2	726.74	2.47	2-3%
132	बलौदाबाजार	सैहा	सैहा	37240.4	844.19	2.27	2-3%
133	बलौदाबाजार	बलौदी	बलौदी	54140	1467.59	2.71	2-3%
134	बलौदाबाजार	हसुवा	हसुवा	53411.6	994.79	1.86	1-2%
135	बलौदाबाजार	हसुवा	अमोदी	35585.2	370.46	1.04	1-2%
136	बलौदाबाजार	कुसुमसरा	कुसुमसरा	38386	943.32	2.46	2-3%
137	बलौदाबाजार	बोरसी (कसडोल)	बोरसी	28080	351.47	1.25	1-2%
138	बलौदाबाजार	हटौद	हटौद	62488.2	764.42	1.22	1-2%
139	बलौदाबाजार	मटिया	मटिया	35654	956.62	2.68	2-3%
140	बलौदाबाजार	मटिया	नरधा	40062	489.43	1.22	1-2%
141	बलौदाबाजार	पिसीद	पिसीद	73464	1153.69	1.57	1-2%
142	बलौदाबाजार	कटगी	कटगी	56350.8	648.44	1.15	1-2%
143	बलौदाबाजार	कटगी	सेल	22950	713.55	3.11	3-4%
144	बलौदाबाजार	गिरौद (कसडोल)	चिखली	31207.6	652.93	2.09	2-3%
145	बलौदाबाजार	गिरौद (कसडोल)	सोनाखान	17332	315.27	1.82	1-2%
146	बलौदाबाजार	कसडोल	कसडोल	60806.4	1794.86	2.95	2-3%
147	बलौदाबाजार	देवरी नगेडी	देवरी नगेडी	45260.8	833.97	1.84	1-2%
148	बलौदाबाजार	देवरी नगेडी	गोलाझर	39778.4	592.12	1.49	1-2%
149	बलौदाबाजार	टुण्डरी	रामपुर	53332	3961.29	7.43	6-10%
150	बलौदाबाजार	टुण्डरी	पुरगांव	32989.6	345.1	1.05	1-2%
151	बलौदाबाजार	सोहागपुर	सोहागपुर	56825.6	611.15	1.08	1-2%
152	बलौदाबाजार	बिलाईगढ.	बिलाईगढ.	46090.8	589.07	1.28	1-2%
153	बलौदाबाजार	बिलाईगढ.	धनसीर	71617.6	2318.75	3.24	3-4%
154	बलौदाबाजार	बिलाईगढ.	पवनी	28158	594.48	2.11	2-3%
155	बलौदाबाजार	गाताडीह	मनपसार	77204.8	1558.98	2.02	2-3%
156	बलौदाबाजार	गाताडीह	दुरूग	26317.6	311.12	1.18	1-2%
157	बलौदाबाजार	सरसीवां	बम्हनपुरी	21881.6	411.44	1.88	1-2%
158	बलौदाबाजार	पिरदा	पिरदा	32528.4	1095.49	3.37	3-4%
159	बलौदाबाजार	भटगांव	भटगांव	89325.8	1453.03	1.63	1-2%
160	बलौदाबाजार	भटगांव	धनगांव	30734.4	313.27	1.02	1-2%
161	बलौदाबाजार	करमदा	करमदा	75967.6	1761.75	2.32	2-3%
162	बलौदाबाजार	डमरू	डमरू	61090.8	901.42	1.48	1-2%
163	बलौदाबाजार	तिल्दा (लवन)	कोरदा	18593.2	297.28	1.60	1-2%
164	बलौदाबाजार	खैरा(लवन)	खैरा	38325.2	1230.9	3.21	3-4%
165	बलौदाबाजार	सिरियाडीह	कोयदा	20640	211.35	1.02	1-2%
166	बलौदाबाजार	सरखोर	सरखोर	38674	717.91	1.86	1-2%

क्रमांक	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	कुल प्राप्त धान (क्विंटल में)	कुल कमी (क्विंटल में)	कुल कमी का प्रतिशत	SALB%
167	बलौदाबाजार	बया	बया	98380.8	1103.77	1.12	1-2%
168	बलौदाबाजार	बया	बार	54456.8	793.82	1.46	1-2%
169	बलौदाबाजार	खोखली	टिकुलिया	22358	224.27	1.00	1-2%
170	बलौदाबाजार	गुर्रा	गुर्रा	26892.94	431.7	1.61	1-2%
171	बलौदाबाजार	गुर्रा	मिरगी	22128	322.62	1.46	1-2%
172	बलौदाबाजार	टेहका	धुर्राबांधा	47429.6	627.61	1.32	1-2%
173	बलौदाबाजार	भाटापारा	तरेंगा	37303.2	413.24	1.11	1-2%
174	बलौदाबाजार	खैरा (निपनिया)	बिटकुली	26452.2	457.42	1.73	1-2%
175	बलौदाबाजार	खैरा (निपनिया)	खैरा	18429.6	200.24	1.09	1-2%
176	बलौदाबाजार	निपनिया	निपनिया	63191.6	1120.95	1.77	1-2%
177	बलौदाबाजार	लेवई	लेवई	49438.4	586.52	1.19	1-2%
178	बलौदाबाजार	लेवई	सिंगारपुर	40727.2	663.01	1.63	1-2%
179	बलौदाबाजार	रोहरा	कोलिहा	34554.4	1005.78	2.91	2-3%
180	बलौदाबाजार	चौरेंगा	चंदेरी	94210.4	1290.26	1.37	1-2%
181	गरियाबंद	भसेरा	बिनौरीभाठा	74450.4	1217.42	1.64	1-2%
182	गरियाबंद	कोपरा	कोपरा	76279.6	1336.14	1.75	1-2%
183	गरियाबंद	निष्ठीगुड़ा	निष्ठीगुड़ा	77736	1576.12	2.03	2-3%
184	गरियाबंद	खड़मा	खड़मा	66118	1481.46	2.24	2-3%
185	गरियाबंद	सिवनी (छुरा)	सिवनी	48407.6	1271.52	2.63	2-3%
186	गरियाबंद	फिंगेश्वर	फिंगेश्वर	62924.8	780.84	1.24	1-2%
187	गरियाबंद	कोपरा	जेजरा	48446.8	877.75	1.81	1-2%
188	गरियाबंद	धवलपुर	बिन्द्रानवागढ़	22559.6	724.62	3.21	3-4%
189	गरियाबंद	मैनपुर	मैनपुर	52343.2	1712.43	3.27	3-4%
190	गरियाबंद	बोरसी (फिंगेश्वर)	बोरसी	49012.4	663.47	1.35	1-2%
191	गरियाबंद	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	44549.2	651.13	1.46	1-2%
192	गरियाबंद	बासिन	बासिन	54363.2	548.58	1.01	1-2%
193	गरियाबंद	चरौदा (छुरा)	चरौदा	25898.4	953.89	3.68	3-4%
194	गरियाबंद	धवलपुर	धवलपुर	28662	668.36	2.33	2-3%
195	गरियाबंद	दुल्ला	दुल्ला	62255.2	928.79	1.49	1-2%
196	गरियाबंद	आमदी	आमदी	27266.4	474.76	1.74	1-2%
197	गरियाबंद	बेलर	परसदाकला	29287.6	826.97	2.82	2-3%
198	गरियाबंद	कोपरा	देवरी	39448.4	556.94	1.41	1-2%
199	गरियाबंद	रसेला	रसेला	48858.8	787.6	1.61	1-2%
200	गरियाबंद	आमदी	दर्रीपारा	25011.6	388.35	1.55	1-2%
201	गरियाबंद	लचकेरा	लचकेरा	58374.4	1211.89	2.08	2-3%
202	गरियाबंद	खड़मा	पर्क्ोत्यां	29093.2	570.16	1.96	1-2%
203	गरियाबंद	मैनपुर	जिड़ार	10889.4	421	3.87	3-4%
204	गरियाबंद	ढोर्रा (मैनपुर)	तेतलखुटी	76543.6	1191.72	1.56	1-2%
205	गरियाबंद	बारूला	मदनपुर	20173.2	210.2	1.04	1-2%
206	गरियाबंद	बारूला	पीपरछेड़ी	33071.8	600.05	1.81	1-2%
207	गरियाबंद	बारूला	बारूला	23574	327.64	1.39	1-2%
208	गरियाबंद	झाखरपारा	झाखरपारा	85799.6	2502.28	2.92	2-3%
209	गरियाबंद	लाटापारा	लाटापारा	85041.6	1796.92	2.11	2-3%
210	गरियाबंद	देवभोग	देवभोग	77154	2694.7	3.49	3-4%
211	गरियाबंद	शोभा	शोभा	18065.6	886.27	4.91	4-5%
212	गरियाबंद	शोभा	बम्हनीझोला	23157.4	1177.46	5.08	5-6%
213	गरियाबंद	उरमाल	उरमाल	63606.4	2314.16	3.64	3-4%
214	गरियाबंद	उरमाल	गोहरापदर	34088.8	617.2	1.81	1-2%
215	गरियाबंद	ढोर्रा (मैनपुर)	ढोर्रा	65174.4	2033.01	3.12	3-4%
216	गरियाबंद	सोरिद	सोरिद	35522.4	490.91	1.38	1-2%
217	गरियाबंद	रानीपरतेवा	रानीपरतेवा	30990.4	680.94	2.20	2-3%
218	गरियाबंद	अमलीपदर	अमलीपदर	88899.2	3181.6	3.58	3-4%
219	गरियाबंद	काण्डेकेला	भेजीपदर	112559.6	2676.68	2.38	2-3%
220	महासमुंद	रसोडा	धुमाभांठा	39309.6	6931.19	17.63	16-20%
221	महासमुंद	खरोरा	खरोरा	51953.2	7422.15	14.29	10-15%
222	महासमुंद	नूनपानी	जम्हरी	67807.6	5119.57	7.55	6-10%

क्रमांक	जिला	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	कुल प्राप्त धान (क्विंटल में)	कुल कमी (क्विंटल में)	कुल कमी का प्रतिशत	SALB%
223	महासमुंद	रूढा	सागरपाली	64194	5070.94	7.90	6-10%
224	महासमुंद	पिरदा	पिरदा	118911.6	5010.12	4.21	4-5%
225	महासमुंद	सरकडा (पिरदा)	चनाट	97743.6	4464.71	4.57	4-5%
226	महासमुंद	रसोडा	रसोडा	47242.8	4401.6	9.32	6-10%
227	महासमुंद	बडेडाभा	बडेडाभा	50219.2	4424.39	8.81	6-10%
228	महासमुंद	अकोरी	अकोरी	67477.2	4105.17	6.08	6-10%
229	महासमुंद	गढफुलझर	गढफुलझर	57568	3786.73	6.58	6-10%
230	महासमुंद	उडेला	उडेला	64898	4729.94	7.29	6-10%
231	महासमुंद	गढफुलझर	कुरचुंडी	48784.8	3337.67	6.84	6-10%
232	महासमुंद	आरंगी	जाडामुडा	136278.4	2709.05	1.99	1-2%
233	महासमुंद	रिसिकेला	केदुवा	66177.6	2490.82	3.76	3-4%
234	महासमुंद	बिरकोनी	बिरकोनी	81037.6	2393.9	2.95	2-3%
235	महासमुंद	बडेसाजापाली	बडेसाजापाली	88731.2	4814.36	5.43	5-6%
236	महासमुंद	बिछिया (बसना)	बिछिया	45776.6	2182.19	4.77	4-5%
237	महासमुंद	भंवरपुर	भंवरपुर	65020	3870.94	5.95	5-6%
238	महासमुंद	सांकरा	सुखीपाली	47744.4	1814.71	3.80	3-4%
239	महासमुंद	पटेवा	पटेवा	78952.4	1646.5	2.09	2-3%
240	महासमुंद	रूढा	तिहारपाली	54698.4	1576.58	2.88	2-3%
241	महासमुंद	बावनकेरा	बावनकेरा	60212	1439.66	2.39	2-3%
242	महासमुंद	बरेकेल	टेका	23464.4	1055.08	4.50	4-5%
243	महासमुंद	बरेकेल	बरेकेल	40114.8	984.23	2.45	2-3%
244	महासमुंद	लम्बर	लम्बर	105748	3824.18	3.62	3-4%
245	महासमुंद	बावनकेरा	चौकबेडा	35763.4	929.11	2.60	2-3%
246	महासमुंद	नूनपानी	अमरकोट	43600	1277.59	2.93	2-3%
247	महासमुंद	नायकबांधा	नवागांव	15156.2	299.02	1.97	1-2%
248	महासमुंद	बसना	बडे टेमरी	34342.8	700.64	2.04	2-3%
249	महासमुंद	खरोरा	सिंघनपुर	41796.8	696.44	1.67	1-2%
250	महासमुंद	रिसिकेला	नवागढ	66619.6	1821.14	2.73	2-3%
251	महासमुंद	रूढा	मल्दामाल	53311.6	788.11	1.48	1-2%
252	महासमुंद	भंवरपुर	ठूंठापाली	46670	1079.7	2.31	2-3%
253	महासमुंद	बिछिया (भंवरपुर)	बिछिया	73956.8	2101.87	2.84	2-3%
254	बलरामपुर	चान्दों (कुसमी)	चान्दो	30123.6	856.93	2.84	2-3%
255	बलरामपुर	बलरामपुर	बलरामपुर	62483	713.35	1.14	1-2%
256	सूरजपुर	सोनपुर	शिवप्रसादनगर	60248.4	1391.84	2.31	2-3%
257	सूरजपुर	केवरा	केवरा	56072.4	722.72	1.29	1-2%

परिशिष्ट-16

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 4–20/2020/29–1 नवा रायपुर, दिनांक 19 नवंबर, 2020

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   छत्तीसगढ़

2. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़

विषय :– **खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन के दौरान COVID-19 से बचाव के संबंध में SOP ।**

खरीफ वर्ष 2020–21 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अवधि के दौरान COVID-19 से बचाव हेतु धान खरीदी केन्द्रों पर निम्नानुसार SOP का पालन किया जावे :–

1. खरीदी केन्द्रों में भीड़ इक्ट्ठा न हो इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से टोकन व्यवस्था के माध्यम से धान की खरीदी किया जावे । इसके लिए किसानों को धान खरीदी के पूर्व खरीदी केन्द्र की दैनिक क्षमता एवं व्यवस्था अनुसार टोकन जारी किया जावे । किसानों को SMS के माध्यम से भी आवश्यकतानुसार सूचित किया जावे । टोकन सिस्टम की नियमित मॉनिटरिंग की जावे ।
2. खरीदी केन्द्र पर केवल टोकन प्राप्त किसानों से ही उपज की तौल की जाए, ताकि केन्द्र पर अधिक भीड़ न हो, इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।
3. खरीदी केन्द्र में कोरोना से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों का पोस्टर/बैनर/दिवाल लेखन के माध्यम से प्रदर्शन किया जावे । खरीदी केन्द्र प्रभारी द्वारा किसानों को कोविड–19 से बचाव हेतु प्रोत्साहित किया जावे एवं आवश्यक समझाईश दी जावे ।
4. खरीदी केन्द्र में सोशल एवं फिजीकल डिस्टेसिंग बनाकर रखा जावे ।
5. मास्क का उपयोग किया जावे ।
6. धान खरीदी से संबंधित सभी जगहों पर हाथ धोने हेतु साबुन एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जावे ।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

पृ. क्रमांक एफ 4–20 / 2020 / 29–1 / नवा रायपुर, दिनांक 19 नवंबर, 2020

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर ।
3. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर ।
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. नवा रायपुर ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, नवा रायपुर ।
7. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर ।
8. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक, नवा रायपुर ।
9. समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
10. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, नवा रायपुर ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

–65